एक्शन अलर्ट

सलाखों में बचपन

अशोक गंगराड़े

किताब का नाम	–	सलाखों में बचपन
लेखक	–	अशोक गंगराड़े
संपादन	–	राकेश कुमार मालवीय
मार्गदर्शन	–	सचिन कुमार जैन, शुभेन्दु भट्टाचार्य, जया सिंह
प्रकाशक	–	विकास संवाद, मध्यप्रदेश
वर्ष	–	दिसंबर – 2019
डिजाइन	–	रोहित राय
मुद्रक	–	आकांक्षा ग्राफिक्स, बी–79 कस्तूरबा नगर, भोपाल
सहयोग	–	चाइल्ड राइट्स एंड यू (क्राय)

अनुक्रमणिका

1	जब अपराधी होने का ठप्पा लग जाता है	12
2	लालच का सिला..	16
3	सीबीएसई स्कूल में रहा टॉपर...	19
4	नादानी का प्यार...	22
5	गरीबी की वजह से मां ने स्कूल नहीं भेजा...	25
6	जब क्रिकेट का सट्टा बन गया ...	28
7	बुरे लोगों की संगत में आकर ..	30
8	मैने लिफ्ट क्या दी तस्करी का आरोपी बना दिया...	33
9	लोगों के बहकाबे में आकर ...	35
10	जुगाड़ से बंदूक खरीदकर बन गया ...	37
11	बच्चों के देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015	39

आमुख

बच्चे हर परिवार की क्यारियों में खिले रंग-बिरंगे फूलों की तरह होते हैं, जिनकी खुशबू से घर का हर एक कोना महक उठता है। इनकी किलकारियां सागर में उठती लहरों की तरह मन को आनंदित कर देती हैं। जब हमें बच्चों से इतनी खुशी मिलती है तो इनकी परवरिश, सुरक्षा और इन्हें सही दिशा देकर एक बेहतर नागरिक बनाने की जिम्मेदारी भी हम सबकी बनती हैं, लेकिन यह बहुत चिंताजनक बात है कि म.प्र. जिसे शांति का टापू कहा जाता है, उसमें बाल अपराध से जुड़े मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि हमारे समाज और परिवार में बच्चे कितने सुरक्षित हैं?

बच्चे जहां सोशल मीडिया, इंटरनेट और टेलीविजन के लगातार संपर्क में रहने से शारीरिक व्यायाम, खेलकूद से दूर होते जा रहे हैं, जिससे उनमें चिड़चिड़ाहट, हिंसक प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। वे जिद पूरी नहीं होने पर आक्रामक हो उठते हैं। बच्चों में उम्र बढ़ने के साथ-साथ सहनशीलता भी खत्म होती जा रही है। वहीं, दूसरी ओर बच्चे गलत संगत, लालच, नशा और धूम्रपान जैसी बुराइयों की चपेट में तेजी से आकर अपराध की ओर बढ़ रहे हैं। इसके पीछे के जिम्मेदार कारण जैसे- अशिक्षा, गरीबी और आसपास के माहौल को सुधारने की दिशा में भी कारगर कदम उठाने की जरूरत है।

यह किताब इन्हीं सब मुद्दों और चिंताओं को देखते हुए बच्चों के अपराधों से जुड़ी कुछ सच्ची कहानियों के माध्यम से समाज को सच दिखाने का मेरा एक प्रयास है। मेरा उद्देश्य बाल अपराध पर किताब लिखकर किसी भी माता-पिता को भयभीत करना नहीं, बल्कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता के साथ अहसास कराना है। क्योंकि बच्चे का गलत कदम पूरे परिवार को प्रभावित करता है, जो इन कहानियों में पढ़कर पता चल जाएगा। अंत में उम्मीद है कि यह किताब अभिभावकों और बच्चों में एक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक होगी।

लेखकीय

बाल अपराध से जुड़े मामलों में कई बार हमें अपराध के पीछे की सही घटना पता नहीं चलती। मीडिया में भी घटना या सूचना प्रकाशित कर कुछ मामलों को अनदेखा कर दिया जाता है। ऐसे में विचार आया कि जमीनी स्तर पर विधि विवादित बच्चों के बीच कुछ समय बिताकर सही पड़ताल की जा सकती है। इसको देखते हुए मैंने बाल सुधार पर काम करने वाली राजधानी की कुछ संस्थाओं से संपर्क किया। मैंने उन्हें अपने उद्देश्य बताए और मुझे संप्रेक्षण गृह में बच्चों के बीच काम करने का अवसर प्रदान किया। मैंने तकरीबन 6 माह तक बच्चों की शिक्षा को लेकर काम किया। बच्चों को सकारात्मक माहौल देने के लिए रचनात्मक लेखन, बाल गतिविधियां, कहानियां, प्रेरक किस्से और ओरेगेमी की मदद से उनकी जिज्ञासाओं को विकसित किया। बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए शुरुआत में यह प्रयास सफल भी रहा। कुछ ही समय में स्थिति यह हो गई कि बच्चे मेरे संप्रेक्षण गृह आने का नियमित इंतजार करने लगे। बच्चों में बड़ों के प्रति आदर और शिक्षक का सम्मान करने का सलीका भी बखूबी था। इस दौरान लगातार बच्चों के संपर्क में रहने की वजह से उनसे मेरा संबंध दोस्ताना हो गया। वे मुझसे अपनी छोटी-छोटी बातें शेयर करने लगे। बच्चे अपने साथ हुए अपराध के घटनाक्रम को भी साझा करते थे, जिसमें वे सभी अपने घर-परिवार, शिक्षा, माहौल के साथ अपराध की वजह भी बताते थे। बच्चों के कई सवाल होते थे, जिनमें से कुछ का जवाब मेरा पास भी नहीं होता था। बस उनकी बातों को ध्यान से सुनता रहता था।

जब बच्चों ने अपने अपराध से जुड़े और जीवन की सच्चाई के कई पहलुओं को बताया तो मैंने सभी घटनाओं का समावेश कर एक किताब लिखने का विचार किया। इनमें बच्चों द्वारा बताई गईं एक-एक घटनाओं का जिक्र है, जिसे उन्होंने मुझसे साझा किया।

इस प्रयास के लिए मुझे संस्था हिफाजत का भरपूर सहयोग मिला, संस्था ने मुझे बाल संप्रेक्षण गृह में बच्चों के बीच काम करने का अवसर उपलब्ध कराया। मैं संस्था हिफाजत का आभारी हूं।

मैं विकास संवाद संस्था का शुक्रिया अदा करता हूं, जिसका समय-समय पर मुझे मार्गदर्शन मिला और मैं बच्चों से जुड़े अपराधों को समाज के सामने एक किताब के रूप में प्रस्तुत कर पाया।

अंत में उन सभी बच्चों का मैं विशेष आभारी हूं, जिनके सहयोग के बिना यह लेखन मूर्तरूप नहीं ले सकता था, जिन्होंने अपने जीवन से जुड़ीं घटनाओं पर बिना संकोच किए विस्तार से चर्चा के लिए समय दिया।

- अशोक गंगराड़े

कब अपराधी नहीं होते बच्चे

भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अनुसार वह कार्य अपराध नहीं होता है, जो सात वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा किया जाता है। इस तरह से यह धारा पूर्ण रूप से स्पष्ट करती है कि जो कार्य सात वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा किया जाता है वह अपराध नहीं हो सकता। भले ही उसके द्वारा किया गया वह कार्य संहिता की दी गई अपराध की किसी भी परिभाषा के अंतर्गत आता हो। धारा यह मानकर गठित की गई है कि सात वर्ष से कम उम्र के शिशु में न तो अपने द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति को समझने की बुद्धि होती है और न ही वह उस कार्य के परिणामों का जानकार होता है। वह सभी तरह से अज्ञान होता है। अतः उसकी अज्ञानता के कारण उसे किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सात साल से कम उम्र का बच्चा क्या सही और क्या गलत है, इसमें फर्क नहीं कर पाता। वह यह नहीं जान सकता कि उसके द्वारा किया गया वह कार्य अपराध है और विधि विरुद्ध है।

सात वर्ष से कम उम्र का शिशु इस संहिता के आधीन बनाए गए अपराधों के संबंध में ही अपराधिक दायित्वों से मुक्त नहीं, बल्कि किसी भी विशेष या स्थानीय लॉ के आधीन बताए गए अपराधों के संबंध में भी अपराधिक दायित्व से मुक्त है। शिशु द्वारा किए गए कार्य के संबंध में इसी संहिता की धारा 83 भी उपबंध करती है। धारा 83 के अनुसार-कोई कार्य अपराध नहीं है तो सात वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम उम्र के ऐसे बच्चे द्वारा किया जाता है, जिसकी समझ इतनी पक्की नहीं है कि वह उस समय अपने आचरण की प्रकृति और उसके परिणामों का निर्णय कर सके।

यह धारा 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किए गए कार्य को भी अपराध नहीं बताती और इस तरह ऐसे बच्चे को भी अपराधिक दायित्व से मुक्त रखती है, लेकिन ऐसा तभी है जबकि वह बालक उस कार्य को करते वक्त अपने अपरिपक्व समझ के कारण उस कार्य की प्रकृति और परिणामों को जानने में असफल हो। उदाहरण एक 10 वर्ष की उम्र का बालक कोई ऐसा कार्य करता है जो इस संहिता में दी गई अपराध

की परिभाषा के अंतर्गत है, लेकिन ऐसे कार्य को करते समय बालक की समझ ऐसी नहीं थी कि वह अपने कार्य की प्रकृति और परिणामों को जान सके। वह बालक धारा 83 के प्रभाव से, अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। धारा 83, कार्य की प्रकृति और परिणामों को जानने के लिए बालक की उम्र को आधार नहीं बनाती है, बल्कि इसका निर्णय उसकी समझ की शक्ति के आधार पर होता है। सात साल से अधिक और बारह साल से कम उम्र का बालक अपराध करने पर इस धारा के अंतर्गत बचाव तभी प्राप्त कर सकता है जब यह सिद्ध कर दिया जाए कि उस कार्य को करते समय बालक ने पर्याप्त परिपक्वता प्राप्त नहीं की थी, जिसे ठीक उसी प्रकार सिद्ध किया जाएगा जिस प्रकार से विकृत चित्त के व्यक्ति की अपराध करने की असमर्थता को सिद्ध करना होता है।

धारा 83 सिर्फ 12 वर्ष तक के बालक को ही प्रतिरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि 12 साल से अधिक उम्र के बालक के संबंध में समझ की अपरिपक्वता की बात लागू नहीं हो सकती। यदि ऐसे बच्चों के लिए समझ की अपरिपक्वता की दलील ली जाती है तो वह मानी नहीं जाएगी और अनुचित रहेगी।

यदि कोई बालक 11 साल से अधिक परंतु 12 साल से कम है और वह किसी व्यक्ति की हत्या का अपराध करता है तो इस समस्या में बालक को भारतीय दंड संहिता की धारा 83 का बचाव नहीं मिल सकता, क्योंकि इस धारा के तहत वे बच्चे जो सात साल से बड़े हो परंतु 12 साल से छोटे हो तथा उनका मस्तिष्क विकसित नहीं है अर्थात अपरिपक्व समझ के कारण वह कार्य की प्रकृति और परिणामों को जानने में असफल रहते हैं तब उनके द्वारा किए गए गलत कार्य अपराध नहीं बनते और इस प्रकार ऐसे बच्चे अपराधिक दायित्व से मुक्त रहते हैं, परंतु यहां बालक अपने कार्य के परिणाम को समझ रहा है। उसका चाकू लेकर यह कहते हुए आगे बढ़ना कि वह उसके टुकड़े-टुकड़े कर देगा और इसके बाद चाकू घोप देना, इस बात को दर्शाता है कि उस बच्चे की नीयत उस व्यक्ति की मृत्यु करने की थी। इसलिए वह हत्या का दोषी होगा।

संप्रेक्षण गृह के सवाल

देशभर में बाल अपराध के मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, वह सरकार और समाज के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, लेकिन आज दोनों ही बच्चों के भविष्य को लेकर गंभीर नहीं दिखाई दे रहे हैं। जहां एक ओर सरकार नियम-कानूनों में बदलाव कर बच्चों की सुरक्षा और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के कई दावे करती है। बच्चों को लेकर अलग-अलग स्तरों पर कई समितियां बना रखी हैं, लेकिन इनका जमीनी स्तर पर कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। यही कारण है कि आज इसकी कोई गारंटी नहीं है कि विधि विवादित बच्चा संप्रेक्षण गृह में कुछ समय रहकर एक नेक, ईमानदार और जिम्मेदार के साथ ही अच्छा इंसान भी बनकर निकले। यह सवाल आज इसलिए खड़ा हो रहा है कि संप्रेक्षण को जब तक संस्कारों की पाठशाला और रचनात्मक गतिविधियों में तब्दील नहीं किया जाएगा, तब तक सरकार के सारे प्रयास और विधि विवादित बच्चों को समाज की मुख्यधारा में जुड़ने की योजनाएं सफल नहीं हो सकतीं। इसके लिए जरूरी है कि संप्रेक्षण गृहों में बच्चों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए एक सकारात्मक माहौल दिया जाए। बच्चा अपराध बोध के बाद किस तरह एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकता है इसके लिए कोई काउंसलर की व्यवस्था भी इस सिस्टम में दिखाई नहीं देती। बच्चों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए संप्रेक्षण गृहों में कोई हुनर भी नहीं सिखाया जाता है। ऐसे कई अनगिनत सवाल हैं, जिन पर सरकार को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।

मध्यप्रदेश के संदर्भ में देखें तो सामान्यतः संप्रेक्षण गृह में मुख्य रूप से आसपास के पांच से छह जिलों के विवादित बच्चों को रखा जाता है, जो विभिन्न अपराधों में संलिप्तता के आरोपी होते हैं। इनमें कुछ गंभीर प्रकृति के अपराधी बालक होते हैं तो कुछ चोरी और अन्य वारदात करने के आरोप में पकड़े जाते हैं। इनमें कुछ हालात के मारे होते हैं तो कुछ कभी-कभार बिना गुनाह किए भी किसी की अनायास मदद करने के आरोप में पकड़े जाते हैं।

कहने का आशय यह है कि सभी बच्चों के गुनाह और उनकी प्रकृति अलग-अलग होती है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि संप्रेक्षण गृह में गंभीर आदतन अपराधी और मारपीट के आरोप में पकड़े गए बच्चों को एक साथ एक ही कमरे में 24 घंटे लंबे समय तक रखा जाएगा तो उनके अंतर्मन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके बारे में भी हमें सोचने की जरूरत है। हमारे समाज में एक कहावत है कि बच्चे कच्ची मिट्टी के लौंदे के समान होते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से आकार-प्रकार में ढाला जा सकता है। जब संप्रेक्षण गृह में बच्चों को कोई अच्छे संस्कार, रचनात्मक गतिविधियां और सकारात्मक माहौल नहीं मिलेगा तो हम कल्पना कर सकते हैं कि यही कच्ची मिट्टी का घड़ा क्या आकार लेगा ?

दूसरी ओर यह भी एक चिंताजनक पहलू है कि संयुक्त परिवारों के टूटने से बच्चों में अकेलापन, मानसिक तनाव, व्यक्तिगत पहचान खो जाने की व्याकुलता को एकल परिवार भी दूर नहीं कर पा रहा है। बच्चों का अधिकांश समय संचार माध्यमों के बीच गुजरने से वे हिंसात्मक होते जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में हर साल करीब दो करोड़ लोगों के हिंसा की भेंट चढ़ने वालों में बाल युवाओं की सहभागिता अधिक रहती है। इनमें वे बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें सामाजिकता से वंचित रखा जाता है। इसका दुष्परिणाम यह रहा है कि प्रेम, स्नेह के अभाव में ये बच्चे संवेदना शून्य बनकर हिंसा से जुड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ते चले गए।

घर-परिवार का भी बच्चों को संस्कार देने में एक अहम रोल होता है। बचपन में वह अपने माता-पिता का अनुसरण करता है और उनके कार्य व्यवहार को अपने जीवन में आत्मसात करने लगता है। इसके बाद उसका अगला कदम स्कूल की तरफ बढ़ता है। जहां वह शिक्षकों और साथियों के साथ आगे कदम बढ़ाता है। इसी दौरान उसे आसपास का परिवेश भी आकर्षित करने लगता है। ऐसे समय में बच्चे की हर गतिविधियों पर शिक्षकों से समय-समय पर बातचीत करते रहना चाहिए। ताकि उसकी पढ़ाई के साथ-साथ दैनिक

क्रियाकलापों की जानकारी भी हमें मिलती रहे। कई बार बच्चे घर से स्कूल जाने का बोलकर कहीं दूसरी जगह निकल जाते हैं। अगर इस तरह की गतिविधियां लगातार दिखाई दें तो परिजनों को सतर्क हो जाना चाहिए। बालमन चंचल होने के साथ आसपास के माहौल से जुड़ा होता है। अगर बच्चे की संगत अच्छे लोगों के साथ होगी तो वह नेक इंसान बनकर मुख्यधारा में वापस लौट सकता है। बस जरूरत है सही मार्गदर्शन की।

अपराध की तरह बाल अपराध भी एक गंभीर समस्या है, जिस तरह अपराध सार्वभौमिक है, उसी तरह बाल अपराध भी सार्वभौमिक है। यह एक ऐसी समस्या है, जो मूलतः पारिवारिक एवं सामुदायिक विघटन की देन है। बाल अपराध सामान्य लक्षणों की तरह अपराध की ही भांति है। यह भी समाज विरोधी कार्य और इसमें भी कानूनों का उल्लंघन होता है। इस संदर्भ में स्टीफन स्कैफर तथा रिचर्ड डी. खुडफेन (Stephen schaffer and Rechard D. Khudfen) ने अपनी पुस्तक Juvenile Delinouenly : An Jntrocluction में लिखा है। delinouency and crime are forms of deriation from the value otipulated By the society and its ruling elements किंतु विभिन्न रूपों में दोनों एक-दूसरे से भिन्न भी है। साधारणतः बालक का अपराध बाल अपराध कहा जाता है। अर्थात् एक निश्चित आयु से कम आयु के बच्चों का अपराधपूर्ण कार्य बाल अपराध समझा जाता है। किन्तु प्रश्न उठता है कि बालक किसे कहा जाए? इसके लिए कम या अधिकतम आयु सीमा क्या है? विभिन्न राज्यों या राष्ट्रों में भिन्न-भिन्न आयु के बच्चे को बाल अपराधी माना गया है। उदाहरण स्वरूप भारतवर्ष में किसी बच्चे को बाल अपराधी घोषित करने की निम्नतम उम्र 14 वर्ष तथा अधिकतम आयु 18 वर्ष है। इसी तरह मिश्र में यह आयु क्रमशः 7 वर्ष से 15 वर्ष, ब्रिटेन में 11 से 16 वर्ष तथा ईरान में 11 से 18 वर्ष है। अतः बाल अपराधियों के निम्नतम तथा अधिकतम आयु के संबंध में कोई सार्वभौमिक धारणा प्रचलित नहीं हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि एक निश्चित आयु तक के बालकों के अपराध को बाल अपराध कहा जाता है। आज का बालक कल देश का कर्णधार होता है। उसके कंधे पर परिवार समुदाय और आगे चलकर देश निर्माण की जिम्मेदारी होती है। यदि वह पहले से ही गलत रास्तों पर चलना सीख जाएगा तो देश

का उद्धार असम्भव हो जाएगा, इसलिए बदलते भारत की परिस्थितियों में बाल अपराध को सामाजिक समस्या के रूप में स्वीकार कर इसका निदान भी तलाशना होगा। बाल अपराधियों के साथ काम करते हुए जब हम उन्हें बार-बार चोरी करते, झूठ बोलते या हिंसक व्यवहार करते हुए देखते है तो कई बार निराशा की भावना होती है। इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो, इसकी तलाश में हम छटपटाते रहते हैं। हमने यही सीखा है कि इसका एकमात्र जादुई मंत्र यही है कि आप ऐसे बच्चों के साथ वही व्यवहार करे जो आप अपने बच्चों के साथ करते हैं। झूठ बोलना, चोरी करना, हिंसक व्यवहार करना आदि उनकी आदत हो जाती है तो आप उन्हें सही रास्ते पर चलने की सलाह देते हैं, उन्हें सजा देते हैं, लेकिन कभी उनकी देखभाल करना नहीं छोड़ते और न ही कभी उन पर भरोसा करना छोड़ते हैं फिर इस उम्र के दूसरे बच्चे (जो किसी जिम्मेदार व्यस्क के सुरक्षा कवच से वंचित रहे है) के साथ अलग व्यवहार का क्या औचित्य है? यदि हमारा मकसद कुछ बच्चों द्वारा किए गए दुष्कर्ष और हत्या जैसे गंभीर अपराधों का बदला लेना है तो हमें उन्हें न केवल जेल में बंद करना चाहिए, बल्कि फांसी देने तक से भी गुरेज नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि हमारा मकसद उन्हें सुधारना है जैसा कि हम अपने बच्चों के साथ करते हैं तो वयस्कों के लिए बनी जेल में डालना सबसे आखिरी विकल्प है, क्योंकि यहां रहकर उनके अंदर छिपी अच्छाइयों के सामने आने की संभावना सबसे कम होती है। बाल अपराधों को रोकने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि बड़ों के सुरक्षा कवच से वंचित बच्चों तक समय रहते पहुंचा जाए, उनके लिए सैकड़ों की संख्या में आवासीय स्कूल खोले जाएं, जहां उनकी देखभाल के साथ-साथ शिक्षा, भोजन और सुरक्षा की भी व्यवस्था हो। बाल अपराधियों के लिए कड़ी सजा के प्रावधान से उनकी क्रूरता में और इजाफा ही होगा। बच्चे वे चाहे हमारे या सड़कों पर घूमने वाले ही क्यों न हो, उन्हें प्यार विश्वास और सही दिशा की जरूरत होती है।

भारत में बढ़ते बाल अपराध

भारत में बाल अपराध की समस्या एक विकराल रूप लेती जा रही है। अगर देश में भावी कर्णधार ही आपराधिक कार्यों में सलंग्न हो जाएं तो उस समाज व राष्ट्र की स्थिति क्या होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि किसी भी तरह के बाल अपराध को पनपने से रोका जाए। आंकड़े बताते हैं कि भारत में बाल अपराध की समस्या गंभीर है। 1981 में भारत में बाल अपराध का प्रतिशत कुल अपराध का 4.4 प्रतिशत था, जो 1987 में घटकर 3.7 प्रतिशत हो गया, लेकिन बाद के आंकड़े बाल-अपराध के संबंध में अलग संकेत करते हैं। इसका एक कारण यह भी कहा जा सकता है कि 1988 में बाल अपराध का कुल अपराध के वर्गीकरण में अंतर आया। 1988 में बाल अपराध का कुल अपराध की दृष्टि से 1.7 प्रतिशत था, जो 1991 में 0.8 प्रतिशत पाया गया। 1991 में सबसे अधिक बाल अपराध महाराष्ट्र में हुए। शहरों में मुम्बई बाल-अपराध की संख्या में 1991 में सबसे आगे रहा।

जहां तक लिंग के आधार पर बाल अपराध का प्रश्न है तो यह कहा जा सकता है कि बाल अपराध में लड़कियों की सहभागिता बढ़ती जा रही है। विभिन्न आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि साक्षर या शिक्षित बालकों की तुलना में निरक्षर बालकों में बाल अपराध अधिक पाया जाता है। आर्थिक स्थिति के आधार पर बाल अपराध के आंकड़ों को देखने से यह पता चलता है निम्न आय वर्ग वाले बालकों में इसका प्रतिशत अधिक पाया जाता है। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि यद्यपि बालकों को अपराधों से मुक्त कराने के लिए बहुत प्रयत्न किए जाते हैं, लेकिन बाल अपराधों की पुनरावृत्ति भी होती है अर्थात सुधारात्मक प्रयत्नों के बावजूद बहुत से बाल अपराधी दोबारा अपराध करते हैं, लेकिन इस पर पूर्ण नियंत्रण नहीं किया जा रहा है। आवश्यकता बाल अपराध से भारत को मुक्त कराने की है।

जैसे-जैसे समाज में आपराधिकता बढ़ रही है, वैसे-वैसे बच्चों द्वारा अपराध करने के मामलों में भी बढ़ोतरी होती जा रही है। सन् 1998 से 2000 के बीच के आंकड़ों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दर्ज किए गए कुल अपराधों में से लगभग 0.5 प्रतिशत अपराध बच्चों द्वारा किए गए थे। सन् 2001 में यह आंकड़ा बढ़कर 0.9 प्रतिशत हो गया तो सन् 2002 में 1 फीसदी अपराध बच्चों द्वारा किए गए। सन् 2002 और 2003 में यह आंकड़ा कमोबेश यही रहा। बच्चों द्वारा अपराध करने का प्रतिशत सन् 2006 में बढ़कर 1.1 प्रतिशत हो गया, जो सन् 2007 के अंत तक कायम रहा। सन् 2008 में बच्चों द्वारा 1.2 प्रतिशत अपराधों को अंजाम दिया गया।

'क्राइम इन इंडिया -2008' के आंकड़े बताते हैं कि सन् 2007 के दौरान बच्चों द्वारा 22,865 अपराध भादंसं के अंतर्गत दर्ज किए गए, जबकि सन् 2008 में यह आंकड़ा बढ़कर 24,535 तक पहुंच गया। इस प्रकार सन् 2007 के मुकाबले सन् 2008 में बच्चों द्वारा किए गए आपराधिक मामलों में 7.3 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। बच्चों द्वारा सबसे अधिक निम्नलिखित अपराधों को अंजाम दिया गया- 1. असावधानी के कारण मौत (52.8 प्रतिशत), 2. जाली करेंसी नोटो का प्रचलन (41.7 प्रतिशत), 3. आपराधिक विश्वासघात (32.5 प्रतिशत), 4. लूट (22.2 प्रतिशत), 5. धोखाधड़ी (21.6 प्रतिशत)। अब बात विशेष और स्थानीय कानूनों के अंतर्गत दर्ज ऐसे आपराधिक मामलों की, जिन्हें बच्चों द्वारा किया गया था। इन कानूनों के अंतर्गत सन् 2007 के दौरान कुल 4,163 ऐसे मामलें दर्ज किए गए थे, जिन्हें बच्चों द्वारा कारित किया गया था, जबकि सन् 2008 में यह आंकड़ा घटकर 3,156 ही रह गया था। इस प्रकार ऐसे मामलों में सन् 2007 के मुकाबले सन् 2008 में 24.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी, जो एक शुभ संकेत है। बच्चों द्वारा अपराध करने के सबसे अधिक मामले मध्यप्रदेश (5214), महाराष्ट्र (2836), गुजरात (1693), राजस्थान (1542), आंध्रप्रदेश (1170), हरियाणा (1155) और बिहार (1141) में दर्ज किए गए। इन 8 राज्यों में ही बच्चों द्वारा कुल किए गए अपराधों का लगभग 79 प्रतिशत सामने आया। बच्चों ने जो अपराध किए थे उनके आरोपियों में बालिकाओं और बालकों का प्रतिशत सन् 2008 में 1:20 था जबकि सन् 2007 में यह अनुपात 1:18 था। 7 से 12 वर्ष की आयु वर्ग के सबसे अधिक बाल अपचारी मध्यप्रदेश (278), महाराष्ट्र (244) और छत्तीसगढ़ (133) में थे, जबकि 12 से 16 वर्ष की आयु वर्ग के सबसे अधिक अपराधी मध्यप्रदेश (2416), महाराष्ट्र (2284), छत्तीसगढ़ (1355), राजस्थान (846), गुजरात (741) और आन्ध्रप्रदेश (630) थे। 16 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के सबसे अधिक बाल अपराधी महाराष्ट्र (4052), मध्यप्रदेश (3631), गुजरात (1350), राजस्थान (1315), बिहार (1065) और हरियाणा (1014) में पाए गए थे।

सन् 2008 के दौरान कुल 34,507 बच्चे विभिन्न आरोपों में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। सन् 2008 के अंत तक लगभग 42 प्रतिशत बाल अपचारी अदालतों से सजा सुनने का इंतजार कर रहे थे। अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखण्ड में बाल अपचारियों से संबंधित शत-प्रतिशत मामलों का निपटारा सन् 2008 में कर दिया गया था। सन् 2008 में 11.5 फीसदी बाल अपचारियों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया तो 17.5 फीसदी बाल अपचारियों को उनके अभिभावकों की देखरेख में छोड़ दिया गया। इसी क्रम में 3.3 फीसदी बाल अपचारियों को विशेष संस्थाओं और 16.7 प्रतिशत बाल अपचारियों को विशेष गृह में भेजा गया। वहीं, 3.9 प्रतिशत बाल अपराधियों को आर्थिक जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया।

जब अपराधी होने का ठप्पा लग जाता है...

जिन बच्चों के साथ अपराध एक हादसे के रूप में होता है, उन्हें जिंदगी भर इसकी टीस सताती रहती है। उनका बाल मन पश्चाताप की भट्टी में तप कर कुछ बेहतर कर गुजरने को प्रेरित करता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे संप्रेक्षण गृह में रहकर आपराधिक प्रवृत्ति की ओर मुड़ जाते हैं, बल्कि इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं, जो बाहर निकलकर समाज की मुख्यधारा से जुड़कर मिसाल भी कायम करते हैं...

राजधानी भोपाल में रहने वाले भीमा (परिवर्तित नाम) के होश संभालते ही उसके सिर से पिता का साया उठ गया। जिस उम्र में बच्चों के खेलने-कूदने और मौज-मस्ती के दिन होते हैं। उस समय में भीमा के कंधों पर जिम्मेदारियों को बोझ आ गया। अपने तीन भाइयों के साथ परिवार की जिम्मेदारियों को भी उसने निभाना शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठकर दोपहर तक अपनी पुस्तैनी किराने की दुकान चलाता। इसके बाद उसके दूसरे भाई तब तक दुकान चलाने में भीमा का सहयोग करते थे। इस दौरान वह पास के एक सरकारी मिडिल स्कूल में पढ़ाई करता और शाम से देर रात तक

फिर दुकान संभालता। यही भीमा की दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। भीमा को उसके भाइयों के छोटे होने की वजह से उनका भी पूरा ख्याल रखना पड़ता था। चूंकि दूसरे भाई भी अपनी पढ़ाई करते थे, इसलिए सभी ने प्लानिंग के तहत दुकान चलाने का निर्णय किया, ताकि किसी की पढ़ाई भी प्रभावित नहीं हो और आजीविका भी चलती रहे।

भीमा के कुशल व्यवहार और उसकी सादगी की वजह से उसकी किराने की दुकान चल पड़ी। उसने परिवार को कभी पिता की कमी महसूस ही नहीं होने दी। सभी लोग सप्ताह में एक दिन परिवार के साथ शहर के धार्मिक स्थल तो कभी बड़ी झील या फिर आसपास के किसी एक पिकनिक स्पॉट पर जरूर जाते थे। जहां बड़े तालाब में पानी की शांत लहरें भीमा के मन को तरोताजा कर देती, वहीं बगीचों की मौज-मस्ती नई ऊर्जा देती थी। भोर होने से पहले शहर की सुनसान सड़कों पर दौड़ना और दोस्तों से गपशप करने में बड़ा मजा आता था। इस तरह समय के साथ जिंदगी की रफ्तार भी आगे बढ़ रही थी।

भीमा के पास दुकान चलाने की वजह से नकदी की कोई समस्या नहीं थी। वह पांच-दस हजार रुपए किराना सामग्री की खरीदारी करने के लिए अपने पास हमेशा रखता था। भीमा ने बताया कि एक दिन उसके एक दोस्त को अचानक कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई। दोस्त ने बताया कि मैंने कई लोगों से मदद के लिए कहा, लेकिन किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए। वह बड़ी उम्मीद से मेरे पास आया था और मैं उसे अच्छी तरह जानता भी था। मुझे उम्मीद थी कि वह कुछ समय बाद पैसा लौटा देगा। इसलिए मैंने जरूरत के मुताबिक पैसे देकर उसकी मदद कर दी।

करीब छह महीने तक मैंने उससे पैसे नहीं मांगे। मुझे भी पैसे की जरूरत नहीं थी। जब लंबा समय बीत गया तो दोस्त से कहा कि मुझे पैसे लौटा दो, दुकान में किराना सामान लाना है। इस तरह मैंने उससे पांच-छह बार पैसे मांगे, लेकिन वह हर बार टालता रहा। अब मुझे लगने लगा था कि वह आसानी से पैसे देने वाला नहीं है। फिर भी पैसे दिए हैं तो उन्हें लेने का हक भी बनता है। आखिर मैंने उधारी में पैसे देकर उसकी मदद ही की थी।

एक दिन जब वह मोहल्ले से गुजर रहा था तो मैंने उसे पैसे वापस मांगने के लिए आवाज लगाई। थोड़ी देर तक तो उसने ध्यान नहीं दिया। जब मैं आवाज लगाता हुआ उसके करीब पहुंचा तो आखिरकार उसे रुकना पड़ा। मैंने उससे पहले की तरह अपने उधार दिए रुपए लौटाने के लिए कहा तो वह विवाद करने पर उतारू हो गया और फिर उसने अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इसी बीच उसने अपनी जेब से चाकू निकालकर मुझ पर हमला करने का प्रयास किया, तभी बीच-बचाव और झूमाझटकी में चाकू उसे लग गया और कुछ समय बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस हत्या के आरोप में मुझे पकड़कर थाने ले आई। जहां से मुझे कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया। भीमा बताता है कि जब इस घटना की खबर मेरे घरवालों को लगी तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि अगर वह पैसे नहीं देना चाहता था तो भूल जाता। आखिरकार उन्होंने भी अपने मन पर पत्थर रख लिया।

संप्रेक्षण गृह मेरे लिए एकदम नई जगह थी, जिसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। जहां एक ओर यहां आने पर परिवार की चिंता सता रही थी, वहीं, संप्रेक्षण गृह का माहौल भी भयभीत कर रहा था। इसी उहापोह में मैंने कुछ समय तक ठीक से खाना भी नहीं खाया। शुरुआत का समय बेहद तनाव के बीच गुजर रहा था, लेकिन मैंने मन ही मन अपने आपको संभाला। मेरी अंतर आत्मा से आवाज आई कि भीमा तुम्हारे हाथों अपराध हुआ है तो तुम्हें इसका जो भी दंड होगा, भुगतना तो पड़ेगा। इस तरह मैंने अपने आपको संभाला।

मेरा सबसे पहले संप्रेक्षण गृह में रह रहे विभिन्न अपराधों में आरोपी बच्चों से सामना होता है। उन्होंने शुरुआत के समय काफी परेशान भी किया, लेकिन मुझे पिता की सीख और विरासत में मिले संस्कार तनिक भी मन को डांवाडोल नहीं होने देते थे। परिवार के साथ आम बच्चों की तरह स्कूल में पढ़ाई, मौज-मस्ती और घर वालों के साथ हंसी-ठिठौली करने वाले मिलनसार भीमा को क्या पता था कि उससे एक दिन कोई बड़ा गुनाह हो जाएगा। वह तो पढ़-लिखकर एक अच्छा और नेक इंसान बनना चाहता था। उसका सपना सरकारी नौकरी या फिर बड़ा बिजनेस करने का था। इसके लिए मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहा था।

भीमा ने बताया कि मुझे करीब एक महीने सेंट्रल जेल में रखा। उम्र का सत्यापन होने के बाद 18 साल से कम निकलने पर मुझे बाल सुधार गृह भेज दिया। यहां मुझे करीब छह महीने रहना पड़ा। भीमा बताता है कि सेंट्रल जेल और बाल सुधार गृह में अलग-अलग तरह के विधि विवादित बच्चों के बीच में रहकर मैंने उनके विचारों और प्रवृत्तियों को अपने व्यवहार और आचरण पर हावी नहीं होने दिया। इस दौरान मैंने न ही उनसे ज्यादा बात की और न ही किसी से दोस्ती करने का प्रयास किया। बाल सुधार गृह से बाहर निकलकर मेरे अंतर्मन में उठ रही पश्चाताप की ज्वाला मुझे एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित कर रही थी। इस दौरान मेरी पढ़ाई का एक साल बर्बाद हो चुका था। जब अगले साल पुनः उसी शासकीय हाईस्कूल में आगे की पढ़ाई करने के लिए फॉर्म भरा तो वहां भी शिक्षकों ने मुझे एडमिशन देने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि तुम हत्या के मामले में आरोपी हो। अगर तुम यहां पढ़ाई करोगे तो अन्य बच्चों पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। हम तुम्हें स्कूल में पढ़ने की इजाजत नहीं दे सकते। मेरा आत्मविश्वास पढ़ाई आगे जारी रखने के लिए प्रेरित कर रहा था। इसके लिए परिवार ने भी पूरा साथ दिया। इस घटना का किसी से जिक्र न करते हुए दूसरी कॉलोनी के एक गैर सरकारी स्कूल में एडमिशन ले लिया। मैं पढ़ाई के साथ-साथ किराने की दुकान भी चलाता था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद में सीधे दुकान जाता था। जब भी मुझे समय मिलता तो मैं होमवर्क और पढ़ाई शुरू कर देता था। इसी तरह मैंने दुकान, घर और परिवार को संभालते हुए बी.कॉम तक पढ़ाई पूरी कर ली। अब में कॉलेज से आगे पत्रकारिता में पीजी पूरी कर चुका हूं। वर्तमान में पुराने शहर में किनारा दुकान का संचालन कर रहा हूं।

भीमा अपने परिवार के बारे में बताता है कि हम लोग छह भाई-बहन हैं। पिताजी का निधन हो चुका है। हम तीन भाई ही दुकान संभालते हैं। इस दौरान परिवार में किसी को कोई परेशानी न हो, इसका पूरा ध्यान रखते हैं। हम भाइयों ने पिताजी के न रहने पर दुकान की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली है। आज भीमा विधि विवादित बच्चों के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है, जिसने स्कूल में एडमिशन नहीं मिलने के बाद भी हौसला नहीं हारा। उसने अपनी दुकान में भी पूरा समय दिया और दिन-रात मेहनत कर पढ़ाई जारी रखी और आज परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहा है।

सीख - वह अन्य विधि विवादित बच्चों के लिए कहता है कि हमेशा गलत संगत से अपने आपको दूर रखें। आचरण ऐसा रखें, जिससे किसी को बुरा नहीं लगे। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हों, बुराई को अपने ऊपर हावी न होने दें।

लालच का सिला

वैसे तो स्कूलों में शिक्षक और पुस्तकों में महापुरुषों की सीख हमेशा बच्चों को बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। अगर समय के साथ इन पर अमल करें तो जीवन खुशहाल बन सकता है। वहीं, लालच में आकर किया गया काम व्यक्ति को अपराध की ओर ले जाता है। अगर इस दलदल में कोई एक बार फंस गया, चाहे वह बच्चा हो या युवा सभी को इसके बुरे परिणाम भोगने पड़ते हैं या फिर जेल की हवा खानी पड़ सकती है। ऐसी ही घटना भोपाल के 17 वर्षीय अल्तमस (परिवर्तित नाम) की सच्ची कहानी को बयां करती है। उसने अपने चार अन्य साथियों के साथ पैसे के लालच में आकर लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। वह इन दिनों अपने एक साथी के साथ बाल सुधार केंद्र में है, जबकि बाकी साथी सेंट्रल जेल में सजा काट रहे हैं...

अल्तमस बताता है कि मैंने राजधानी भोपाल के ही शासकीय स्कूल में कक्षा 9वीं की पढ़ाई की। आगे पढ़ाई में मन नहीं लगने के कारण स्कूल जाना बंद कर दिया। बचपन से ही मेरी रुचि ऑटो चलाने में थी, क्योंकि हमारे घर के आसपास के अधिकांश लोगों के रोजगार का जरिया भी यही था। जब मैं अपनी कॉलोनी से किसी ऑटो को गुजरते देखता तो मेरी भी इच्छा उसे चलाने की होती। स्कूल छोड़ने के कुछ समय बाद मैंने दोस्तों

के बीच रहकर ऑटो चलाना भी सीख लिया और किराए से लोडिंग ऑटो लेकर चलाने लगा। इसके लिए ऑटो मालिक को तीन सौ रुपए प्रतिदिन के हिसाब से किराया देना पड़ता था।

मैं करीब एक साल से लोडिंग ऑटो चला रहा हूं। इससे मेरी रोजाना 300 से 500 रुपए तक आमदनी हो जाती है। कभी-कभी भाड़ा नहीं मिलने पर ऑटो मालिक को जेब से भी पैसे देने पड़ते हैं। इसी पैसे से परिवार का खर्च भी चल रहा था। इसके अलावा पिताजी भी मजदूरी करते हैं।

अल्तमस ने लूट की घटना का जिक्र करते हुए बताया कि एक दिन मैं अपने चार अन्य साथियों के साथ मार्केट से भाड़ा डालकर घर लौट रहा था। उस समय रात के करीब दो बजे थे। मेरे एक साथी ने कहा कि पैसे कमाने के लिए किसी को लूटा जाए। पहले तो मैंने ऐसा करने से इनकार कर दिया, लेकिन सभी दोस्त लूट करने के लिए एकमत हो गए। इसके बाद मैंने भी पैसे के लालच में आकर अपनी सहमति दे दी। लूट करने से पहले योजना बनाई। इस पर सभी लोगों ने अपनी-अपनी राय रखी। अंत में ऑटो से किसी वाहन को टक्कर मारकर पैसे ऐंठने का प्लान बनाया। इसके बाद हम सभी किसी वाहन के आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर के बाद एक ट्रक जैसे ही हमारे पास आया। हम लोगों ने उसमें ऑटो से टक्कर मार दी।

अल्तमस बताता है कि इस हादसे में ट्रक को तो कुछ नहीं हुआ, परंतु ऑटो में खरोच आ गई। सभी दोस्तों ने ट्रक ड्राइवर से ऑटो में हुए नुकसान की भरपाई के लिए पांच हजार रुपए देने मांग की, लेकिन वह पैसे देने को तैयार ही नहीं हुआ। काफी देर तक विवाद होता रहा, फिर वह पांच सौ रुपए देने पर राजी हो गया। हमारी मांग ज्यादा रुपए की थी। इसके लिए वह किसी परिचित को इस घटना की सूचना देने ही वाला था कि

हमने उसका मोबाइल फोन छीन लिया। जब उसने पांच सौ रुपए से अधिक देने से इनकार कर दिया, तब मेरे दोस्तों ने ट्रक से डेक और अन्य सामान निकाल लिया। इसके बाद हम लोगों ने ऑटो कॉलोनी में खड़ा किया और घर आकर सो गए।

इसी रास्ते से घटना के 15 से 20 मिनट के बाद पुलिस का पेट्रोलिंग वाहन गुजरा। ट्रक को रात ढाई बजे बीच सड़क पर खड़ा देखकर पुलिस ने ड्राइवर से पूछताछ करना शुरू कर दिया। ट्रक ड्राइवर ने पांच लड़कों द्वारा लूट करने की बात पुलिस को बता दी। पुलिस ने तत्काल ड्राइवर को पेट्रोलिंग वाहन में बैठाकर लुटेरों की तलाश आसपास की कॉलोनियों में शुरू कर दी। मेन रोड से एक रास्ता सीधा हमारी कॉलोनी की ओर ही आता था। इसी दौरान ट्रक ड्राइवर ने रास्ते में खड़े ऑटो को पहचान लिया और रात करीब तीन बजे के आसपास पुलिस ने लोगों से ऑटो मालिक की

जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। पुलिस पूछताछ करते हुए मेरे घर आ गई। ट्रक ड्राइवर ने मुझे देखते ही पहचान लिया। उन्होंने लूट के आरोप में मुझे पकड़ लिया। पुलिस ने मेरे अन्य साथियों के बारे में भी पता कर उन्हें भी पकड़ लिया। सामान के बारे में भी पूछताछ करना शुरू कर दिया जो हमने ट्रक से निकाला था, जिसे पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को लौटा दिया। इस लूट की घटना में शामिल हम दो लोगों की उम्र 18 साल से कम होने पर बाल सुधार केंद्र भेज दिया। इससे पहले सभी को सेंट्रल जेल में भी करीब 15 दिन रखा। बाकी लोग अभी भी सेंट्रल जेल में बंद हैं।

अल्तमस बताता है कि इन सभी साथियों से मेरी पहचान ऑटो चलाने के दौरान ही हुई थी। ये लोग भी ऑटो चलाते हैं। इस वजह से अक्सर मिलना होता था। लगातार मेलजोल के कारण इनसे दोस्ती हो गई। इनमें से कुछ साथी पहले भी चोरी और दूसरे अपराध में जेल जा चुके हैं। इसकी मुझे पहले से ही जानकारी थी, लेकिन पैसे के लालच में आकर मैंने लूट जैसी वारदात में उनका साथ दे दिया, जिसकी मुझे आज सजा भुगतनी पड़ रही है। अपने परिवार के बारे में अल्तमस बताता है कि पिताजी ठेकेदार के साथ मिस्त्री का काम करते हैं। एक बड़ा भाई है वह भी ऑटो चलाता है। इस तरह हमारे परिवार का खर्चा भी चलता है।

अल्तमस नजरें झुकाकर कहता है कि लूट के आरोप में पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद से मेरी इस हरकत की वजह से पिताजी भी नाराज हैं। उन्होंने मुझसे कभी मिलने की कोशिश भी नहीं की। अगर वो यहां आते भी तो किस मुंह से आते। 50 साल के बुजुर्ग पिताजी ने कभी जीवन में लड़ाई-झगड़े नहीं किए। वे पुलिस और वाद-विवाद से हमेशा सौ कदम दूर रहते हैं। पिताजी कहते हैं कि इस लड़के ने समाज और आसपास के लोगों के सामने मेरा सिर शर्म से झुका दिया। हां सिर्फ एक बार बड़ा भाई मिलने आया था। उसने अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के साथ रहने पर डांटते हुए कहा था कि तुमने लूट जैसी वारदात की है, इसकी सजा तो भोगना ही पड़ेगी। काफी देर डांटने और नाराज होने के बाद भाई ने मुझे दिलासा दी, कहा कि चिंता मत करो। पिताजी वकील से मिलकर तुम्हारी जमानत के लिए प्रयास कर रहे हैं। जल्द ही तुम संप्रेक्षण गृह से बाहर आ सकोगे।

अल्तमस ने बताया कि इसके बाद मेरी आंखों से निकले पश्चाताप के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने उसी समय ऐसे दोस्तों से दूर रहने और जीवनभर किसी तरह का अपराध नहीं करने का भाई से वादा किया। अल्तमस ने अपने भाई से कहा कि यहां से बाहर निकलकर ईमानदारी से काम करूंगा। अब कभी लोडिंग ऑटो भी नहीं चलाऊंगा। पिताजी के साथ मिस्त्री का काम करूंगा। मैं उनके साथ रहूंगा तो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से मेलजोल भी नहीं होगा।

सीख - अल्तमस ने कहा कि जब मैं स्कूल जाता था तो किताबों और कहानियों में अक्सर पढ़ता था कि लालच का फल बुरा होता है। आज देख भी लिया। यह घटना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है।

सीबीएसई स्कूल की पढ़ाई में रहा अव्वल
ब्राउनशुगर की लत ने बना दिया अपराधी

बच्चों में तेजी से पनप रही नशे की प्रवृत्ति उन्हें अपराध की ओर ले जा रही है। यही कारण है कि अच्छे स्कूलों में पढ़ने वाले संभ्रांत परिवार के बच्चे भी इस दलदल में फंसते जा रहे हैं। नशा जहां बच्चों की सोचने–समझने की क्षमता को कम कर देता है, वहीं अन्य अपराधी बच्चों की संगत उसे समाज की मुख्यधारा से अलग कर देती है। ऐसा ही वाकया 16 वर्षीय नफीस (परिवर्तित नाम) के साथ भी हुआ। उसने ब्राउनशुगर के नशे में अपने ही स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र को मौत के घाट उतार दिया। अब वो दो साल से बाल सुधार गृह में है...

नफीस बताता है कि मैं भी अन्य बच्चों की तरह विदिशा जिले में सीबीएसई स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। यहां से कक्षा आठवीं प्रथम श्रेणी में पास होने पर मुझे स्कूल की ओर से स्कॉलरशिप भी मिली। कक्षा 9वीं में जाने के बाद मेरा संपर्क ब्राउनशुगर का सेवन करने वाले स्कूल के अन्य साथियों के साथ होने लगा। मेरे इनकार करने के बावजूद वे मुझे नशा करने के लिए ब्राउनशुगर का पावडर देने लगे। हालांकि पहले मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने भी उनके साथ धीर–धीरे इसका सेवन शुरू कर दिया। पीने के बाद मुझे कुछ भी होश नहीं रहता था। कई बार तो मैं समय पर अपने घर भी नहीं जा पाता था।

करीब एक साल तक दोस्तों के साथ ब्राउनशुगर का नशा करने का लगातार सिलसिला चलता रहा। क्योंकि मैं धीरे–धीरे इसकी लत का आदी हो चुका था। घर जाने पर कई बार मम्मी और पापा भी मुझे शक की नजरों से देखते थे, लेकिन उन्होंने मेरी हरकतों पर कभी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। इसलिए उन्हें भी पता नहीं चला कि मैं ब्राउनशुगर का सेवन करता हूं।

नफीस बताता है कि एक दिन मम्मी को मेरे स्कूल बैग से पावडर की पुड़िया मिल गई। उन्होंने पापा को दिखाई। जब उन्होंने इस पावडर के बारे में जानकारी ली तो पता चला कि यह तो ब्राउनशुगर है। उन्होंने मुझे डांटते हुए सख्ती और नाराजगी भरे लहजे में इसे छोड़ने को कहा। इसके बाद मैंने कई महीनों तक ब्राउनशुगर को हाथ भी नहीं लगाया।

नफीस कहता है कि ब्राउनशुगर की लत जिसे एक बार लग जाए, वह आसानी से नहीं छूटती। लिहाजा स्कूल में फिर उन्हीं दोस्तों की संगत में आकर इसे लेना शुरू कर दिया। जब ज्यादा नशा हो जाता तो अक्सर दोस्तों के बीच विवाद भी हो जाता था। इसी वजह से एक अन्य साथी से मेरा झगड़ा हो गया। नफीस बताता है कि मेरे साथ स्कूल में ही पढ़ने वाला एक लड़का मुझसे अड़ीबाजी कर पैसे की मांग करने लगा था। इसे लेकर हमारे बीच मारपीट भी हुई। उस दिन भी मैंने ब्राउनशुगर का नशा किया हुआ था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि उस लड़के से मारपीट का बदला लेना है। वह कोचिंग जाने के लिए घर से निकल ही रहा था। तभी मैंने उसे फोन पर धमकी दी और अकेले एक जगह आने को कहा। मुझे उससे बदला लेना था। इसलिए मैं घर से हथियार लेकर निकला और जब वह आया तो मैंने उस पर हमला कर दिया। इसके बाद उसकी मौत हो गई। मैं वहां से उस लड़के का स्कूल बैग लेकर भाग निकला और घर आकर उसके बैग को कमरे में छिपा दिया।

पुलिस ने घटना का पता चलते ही हत्या के आरोपी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन किसी को भी पता नहीं चला कि आरोपी कौन है। इसके बाद डरकर मैंने घर से कुछ रुपयों की चोरी की और भोपाल भाग आया। यहां भी मैं ब्राउनशुगर का सेवन करने वाले साथियों के बीच रहा। जब तक मेरे पास पैसे थे, नशा करता रहा। इस दौरान मैंने घर वालों को भोपाल में रिश्तेदार के यहां होने की बात भी बता दी थी। लिहाजा उन्होंने मुझे तलाशने का प्रयास भी नहीं किया। जब मैं भोपाल से वापस अपने घर पहुंचा और स्कूल जाना शुरू कर दिया। इस घटना को करीब छह महीने बीत चुके थे। नफीस बताता है कि एक दिन जब मैंने उसके (मृतक)

स्कूल बैग को खोला तो उसमें पैसे और मोबाइल फोन मिला। पैसे तो खर्च कर दिए और मोबाइल फोन को गांव के ही एक अन्य व्यक्ति को बेच दिया। इसके कुछ दिनों बाद ही पुलिस की क्राइम सेल ने मोबाइल फोन को ट्रेस कर उस मोबाइल फोन खरीदने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया, जिसे मैंने मोबाइल फोन बेचा था। उसने पुलिस को मेरा नाम बता दिया। इसके बाद पुलिस मुझ तक पहुंच गई और मुझे हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मुझे बाल सुधार गृह भेज दिया। तभी से मैं अपने गुनाहों की सजा काट रहा हूं।

नफीज बताता है कि इस घटना के बाद माता-पिता के सामने दुखों का पहाड़ खड़ा हो गया। उन्हें मेरी इस हरकत पर लोगों के ताने सुनने पड़े। उनका तो जैसे घर से निकलना और दूसरे लोगों से बातचीत करना बहुत कम हो गया। इन सब बातों का उन पर गहरा सदमा लगा। वे मुझसे करीब 13 महीने तक न तो मिलने आए और न ही कोई संपर्क किया। मैं रोज उनके बाल सुधार गृह में मिलने आने का इंतजार करने लगा। उनके मिलने नहीं आने पर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने मुझसे नाता ही तोड़ लिया हो। उन्होंने मेरा सपोर्ट करना तो दूर अब मुझे अपने साथ रखने से भी मना कर दिया है। मैं जानता था इस मर्डर केस में मेरा नाम सामने आने के बाद उन पर भी काफी दबाव था। मेरे माता-पिता सोचते थे कि अगर उन्होंने यहां से मुझे अपने साथ ले गए तो हो सकता है कि मेरी जान को भी खतरा हो। लिहाजा उन्होंने मुझे बाल सुधार गृह में रखना ही बेहतर समझा। हालांकि अब वे मेरी जमानत के लिए प्रयास कर रहे हैं।

नफीस अपने परिवार के बारे में बताता है कि वे तीन भाई हैं, जिनमें वह सबसे बड़ा है। पिताजी शासकीय नौकरी में हैं। हमारा परिवार आर्थिक रूप से संपन्न है। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सिर्फ मेरी गलत आदतों के कारण पूरे परिवार को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। माता-पिता की बात मानकर ब्राउनशुगर का सेवन करने वालों से दूर रहता तो मुझे आज यह दिन नहीं देखना पड़ता।

नफीस आंखों में पश्चाताप के आंसू और रूआंसे मुंह से कहता है कि भगवान की दी हुई जिंदगी को मुझे छीनने का कोई हक नहीं है। मुझे अपने गुनाहों का अहसास हो चुका है। मैंने जो अपराध किया, उसकी मुझे सजा मिल रही है। दुख इस बात का है कि मेरी वजह से बेगुनाह मम्मी-पापा को लोगों के ताने सुनने को मिल रहे हैं। वहीं जिस व्यक्ति का मैंने खून किया। उसके घरवालों पर क्या बीत रही होगी। उसका भी तो परिवार है। वे मुझे बद्दुआ ही दे रहे होंगे।

नफीस ने कहा कि बाल सुधार गृह से बाहर निकलकर जो कुछ हुआ उसको लेकर बैठे रहने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। बेहतर तो यही होगा कि अब आगे की पढ़ाई और कॅरियर के बारे में सोचा जाए। वह अपनी जिंदगी में मिली सबसे बड़ी सीख को अन्य बच्चों को भी बताना चाहता है।

सीख– किसी भी तरह का नशा जिंदगी और कॅरियर को बर्बाद कर देता है। बचपन में एक गलत कदम अपराध की ओर ले जाता है। वहीं, सही कदम खुशहाल जीवन की ओर। मेरा तो बस यही करना है कि इस दुनिया में आपका सच्चा शुभचिंतक अगर कोई है तो वह माता-पिता। स्कूल और कॉलेज में हम किसी को अपना मित्र बनाएं तो उसके बारे में अपने अभिभावकों से जरूर चर्चा करें। उन्हें मित्रों की अच्छाई और बुराइयों के बारे में भी बताए। इसके बाद वे जो सलाह दें, उस पर अमल करें।

नादानी का प्यार...

कहते हैं प्यार न उम्र देखता है और न ही पैसा। जब यह किसी को किशोर अवस्था में हो जाए तो अंजाम कुछ भी हो सकता है। नादानी का प्यार किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है या फिर सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। ऐसा ही एक वाकया जबलपुर निवासी पीटर (परिवर्तित नाम) की जिंदगी से जुड़ी कहानी को बयां करता है। वह इन दिनों अपनी प्रेमिका को घर से भगाने, अपहरण और ज्यादती के आरोप में बाल संप्रेक्षण गृह में रह रहा है...

जबलपुर में कक्षा चौथी तक पढ़ाई करने वाला 17 वर्षीय पीटर बताता है कि मैं परिवार के साथ रोजी-रोटी की तलाश में कुछ साल पहले ही राजधानी भोपाल आकर मजदूरी का काम कर रहा था। शहर की एक झुग्गी बस्ती में पिताजी ने छोटा सा कच्चा मकान बना लिया था। हमारा परिवार सुबह से ही मजदूरी पर चला जाता और शाम को घर लौटता था। मेहनत मजदूरी से मिलने वाले चार पैसों की बदौलत ही घर का खर्च चल रहा था। यहां जब आय थोड़ी ठीक होने लगी तो पिताजी ने कुछ पैसे बचाकर मकान को रहने लायक बना लिया और धीरे-धीरे गृहस्थी की सभी चीजें जुटाना शुरू कर दिया। यहां सब वैसा ही चल रहा था, जैसा जबलपुर से आने से पहले पिताजी और हमने सोचा था। किसी प्रकार की कोई परेशानी भी नहीं थी।

जब पीटर से बाल सुधार गृह में आने का कारण पूछा तो पहले वह अचानक शांत हो गया। कुछ देर संकोच के चलते वह कुछ नहीं बोला, फिर अचानक आंखों में आंसू भरकर अपनी बर्बादी का कारण पड़ोस में रहने वाली एक लड़की को बताया। जब स्नेह का मरहम उसके जख्मों पर लगाया तो वह कुछ बताने के लिए साहस जुटाने लगा। पीटर कहता है कि उसे बस्ती की पड़ोस में रहने वाली एक लड़की से प्रेम हो गया। हम दोनों का यह प्रेम-प्रसंग घरवालों की चोरी-छिपे करीब दो साल तक चलता रहा। इस दौरान मां को इस बात का पता चल गया कि पड़ोस की लड़की के साथ कुछ चक्कर चल रहा है। माँ ने मुझे कई बार ऐसा नहीं करने को कहा। उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा हम बहुत गरीब लोग हैं और यहां हमारा कोई परिचित या करीबी रिश्तेदार भी नहीं है। किसी दिन कोई ऊंच-नीच हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। हम मदद के लिए किसके पास जाएंगे। बेटा तू तो समझदार है। हम नहीं चाहते कि समाज में हमारी बदनामी हो। इसलिए तुम उस लड़की को भूल जाओ, यही तुम्हारे और हम सब के लिए ठीक होगा। इसके बाद हम दोनों ने कुछ समय के लिए एक-दूसरे से दूर हो गए।

पीटर बताता है कि हम लोगों का कुछ समय बाद फिर मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। इसी बीच मां ने सारी बात पिताजी को बता दी। उन्होंने जल्द ही मेरी शादी के लिए लड़की की तलाश शुरू कर दी। पिताजी को हमारे एक रिश्तेदार ने भोपाल में ही एक परिवार में विवाह योग्य लड़की होने की सूचना दी। वे तत्काल तैयार हो गए और कुछ ही दिन में रिश्ते की बात चला दी। लड़की वाले हमारे घर भी आए और लगभग रिश्ता भी तय हो गया था। इसी बीच जैसे ही प्रेमिका को पता चला कि पीटर के माता-पिता उसकी शादी करने के लिए बहू तलाश रहे हैं तो वह मुझसे जल्द शादी करने की बात कहकर दबाव बनाने लगी।

प्रेमिका ने कहा कि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुम से नहीं तो कुछ भी कर सकती हूं। लिहाजा लड़की ने घर से भागकर शादी करने का मुझ पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। साथ ही ऐसा न करने की स्थिति में जान देने तक की धमकी दे दी। आखिरकार मैं उसके आगे हार गया। चूंकि लड़की के घर वाले शादी के लिए राजी नहीं थे, इसलिए मजबूरी में एक दिन बिना किसी को बताए घर से भागने का प्लान बना लिया। हम लोग भोपाल से भागकर जबलपुर आ गए। इधर, लड़की के घर वालों ने मेरे माता-पिता पर दबाव बनाते हुए थाने में एफआईआर दर्ज कर दी, जिसमें मुझ पर अपहरण और ज्यादती के आरोप लगाए गए थे।

इस घटना के बाद पुलिस मेरे घर वालों को लगातार परेशान करने लगी। इसी बीच लड़की के पिता को

किसी तरह हम लोगों के जबलपुर में होने की बात पता चल गई। उन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि जो होना था वह हो गया। अब आप हमें लड़की से मिलवा दो। अगर लड़की पीटर के साथ रहकर खुश है तो हम दोनों की शादी करा देंगे। पिताजी स्वभाव के बड़े भोले और सज्जन व्यक्ति हैं, इसलिए वे लड़की के पिता की चाल को समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि अब सबकुछ सामान्य होने लगा है तो चिंता की कोई बात नहीं। पिताजी लड़की के परिजनों को साथ लेकर मुझे बिना सूचना दिए जबलपुर आ गए। वे यहां रातभर रुके। सभी ने साथ खाना भी खाया। उनके व्यवहार और हावभाव से ऐसा नहीं लग रहा था कि वे हम लोगों के भागकर आने से नाराज हैं। अगले दिन सुबह लड़की के पिता ने कहा कि हमने लड़की के भागने की थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, इसलिए उसे थाने में पेश करना होगा। वहां बयान होने के बाद हम दोनों की शादी करा देंगे, लेकिन किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था।

लड़की के भोपाल आने के बाद उसके पिता अपनी बात से पलट गए। उन्होंने लड़की को भी धोखे में रखा। पुलिस के समक्ष लड़की पर दबाव डालकर अपने मुताबिक बयान दिलवाए गए। करीब एक सप्ताह के बाद लड़की की मौत होने की सूचना मिली। इस घटना के बाद मैं पूरा टूट चुका था। इस घटना के लिए मैं अपने आपको जिम्मेदार मानने लगा। कुछ समय बाद मैंने भी भोपाल आकर अपने आपको पुलिस के हवाले कर दिया। जहां से पुलिस ने मुझे सेंट्रल जेल भेज दिया। वहां जांच में मेरी उम्र 18 साल से कम निकलने पर मुझे बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया।

हमेशा ईमानदारी और मेहनत से मजदूरी करने वाला पीटर बताता है कि एक छोटी सी नादानी ने मुझे बाल संप्रेक्षण गृह में पहुंचा दिया। अगर मुझे पता होता कि प्यार का अंजाम यहां आकर खत्म होगा तो मैं कभी ऐसी गलती नहीं करता। मैंने मां की बात को भी नहीं माना। काश, उनकी बात मान लेता तो मुझे आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। मैं अपने आपसे शर्मिंदा हूं। मेरी वजह से माता-पिता को समाज के लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हैं। इस घटना के बाद जिस जगह मेरे रिश्ते की बात चल रही थी। उन्होंने भी अब बात करना बंद कर दिया है। वह डबडबाई आंखों से कहता है कि इस घटना के बाद से तो मेरे माता-पिता की तबीयत भी खराब रहने लगी है। मुझे उनकी हमेशा फिक्र बनी रहती है। हालांकि वे 10 या 12 दिन में एक बार मुझसे मिलने आते हैं। मां तो मुझे देखते ही रोने लगती है। उसकी यह पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती। वह समझाते हुए कहती थी कि बेटा मैंने तो तुझे पहले ही आगाह किया था। काश, तू मेरी बात पहले ही मान लेता।

पीटर कहता है कि पिताजी मेरी जमानत को लेकर परेशान रहते हैं। पैसे भी खर्च हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने प्लॉट भी बेच दिया है। अब मेरी कुछ दिनों में जमानत हो जाएगी। इसके बाद मैं परिवार के साथ जबलपुर चला जाऊंगा। वहां मेहनत-मजदूरी कर पिताजी का कर्ज चुकाऊंगा। एक बार गलती की, लेकिन अब कभी माता-पिता की बात नहीं टालूंगा। मैंने जितने भी दुःख दिए हैं, अब मैं उन्हें दोगुना खुशी देने की कोशिश करूंगा।

सीख– मेरे जैसे किशोर जो कम उम्र में प्रेम–प्रसंग में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें मैं सावधान करना चाहता हूं कि प्लीज! अपना जीवन बर्बाद न करें। मैं इसी समाज का आपके सामने उदाहरण हूं। अपने भविष्य पर ध्यान दें और हमेशा माता–पिता की आज्ञा का पालन करें। खूब पढ़ें। माता–पिता का नाम रोशन करें।

गरीबी की वजह से मां ने स्कूल नहीं भेजा दोनों भाइयों ने चोरी करना शुरू कर दिया

अभिभावकों द्वारा बच्चों की छोटी–छोटी असामान्य हरकतों पर बचपन से ही गंभीरता नहीं दिखाने पर उनके कदम किशोर अवस्था में अपराध की ओर जा सकते हैं। शुरू में तो उनकी यह नादानी मन को अच्छी लगती है, लेकिन बाद में दुख का कारण भी बन जाती है। यही कारण है कि दिल्ली की होटलों में खाने के पार्सल सप्लाई करने वाला एक किशोर भोपाल आकर पैसे के लालच में चोरी करना शुरू कर देता है। वह सबसे पहले इसकी शुरुआत पान की गुमठियों में चोरी की वारदातों से करता है। पहली चोरी में सफलता मिलने पर उसके हौसले बुलंद हो जाते हैं। कुछ समय के बाद उसका हम उम्र छोटा भाई भी पैसे के लालच में आकर उसके साथ चोरी करना शुरू कर देता है। वे घरवालों से काम पर जाने का कहकर इन वारदात को अंजाम देते थे। धीरे–धीरे चोरी करना उनके काम का एक हिस्सा बन जाता हैं। एक दिन दोनों भाइयों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। तब से दोनों बाल संप्रेषण गृह में रह रहे हैं। यह कहानी 17वर्षीय रामानुज (परिवर्तित नाम) की जिंदगी से जुड़े वाकया को दर्शाती है...

रामानुज बताता है कि वह 15 साल की उम्र में अपने एक रिश्तेदार की मदद से दिल्ली की होटलों में ईमानदारी और मेहनत से खाना सप्लाई करने का काम कर रहा था। भोपाल में मां के अकेले रहने की वजह और पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उसे वापस लौटना पड़ा। यहां आकर मेरे पास कोई काम नहीं था। दिनभर घर पर खाली बैठा रहता। कुछ जगह काम की तलाश में भी गया, लेकिन कोई काम देने को तैयार नहीं था। दिल्ली में रहने की वजह से मुझे सिगरेट पीने की लत लग चुकी थी। रामानुज कहता है कि एक रात मैं घर से बाहर निकला, कुछ दूर चलने पर मेन रोड पर एक गुमठी दिखाई दी। देर रात होने की वजह से आसपास का इलाका पूरी तरह से सुनसान हो चुका था। सभी दुकानें भी बंद थीं। मैं उस गुमठी के पास

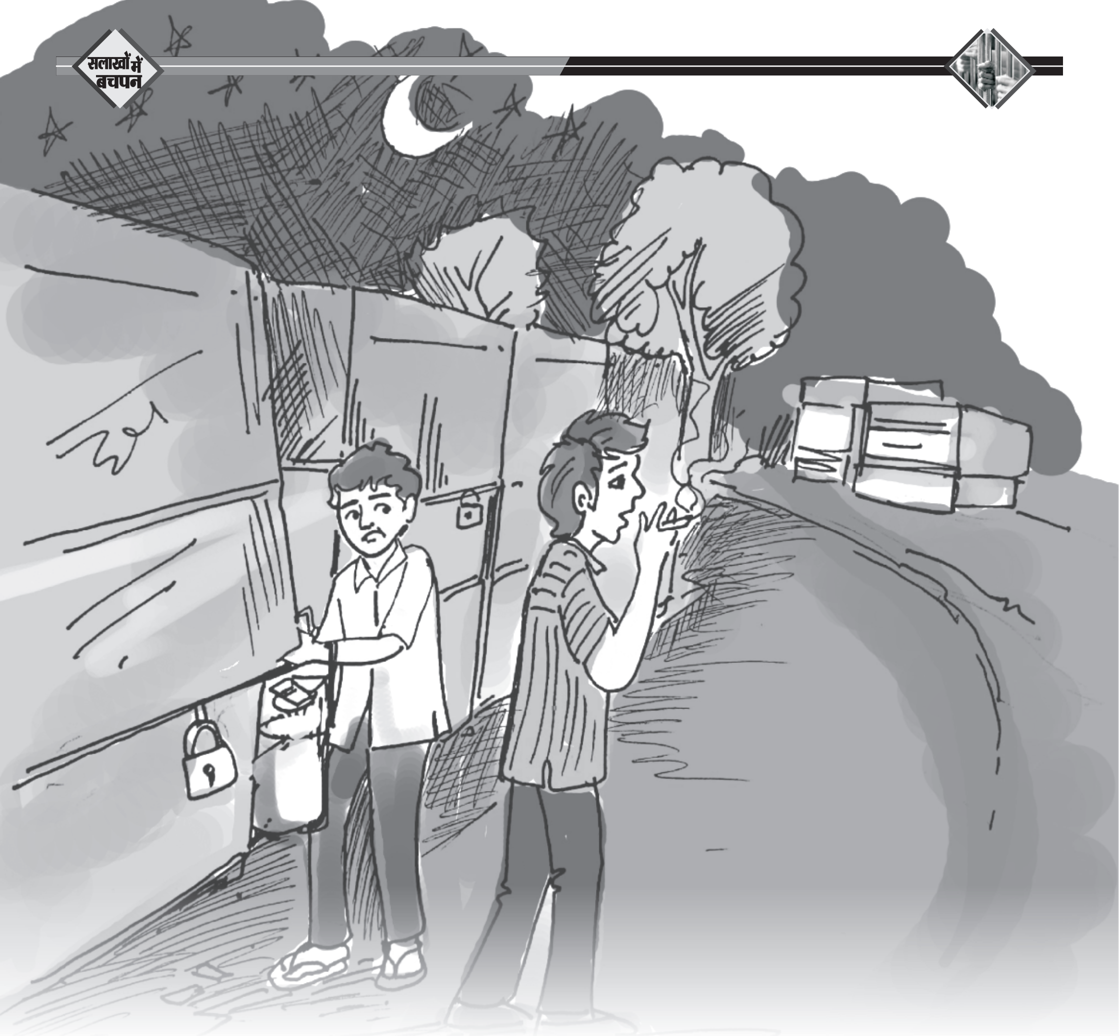

पहुंचा और उसे किसी तरह खोलने की कोशिश करने लगा। गुमठी पुरानी होने की वजह से थोड़ी देर के प्रयासों के बाद ही उसका एक हिस्सा खुल गया। यहां से मैंने अंदर हाथ डालकर सिगरेट के पैकेट और पैसे चुरा लिए, जिनका मैंने एक सप्ताह तक इस्तमाल किया।

रामानुज बताता है कि कुछ समय बाद मैंने फिर दूसरी दुकान पर चोरी की। इस तरह कई दिनों तक गुमठियों में चोरी करने से मेरे हौसले में इजाफा होता चला गया। चोरी के पैसों से मेरी जरूरतें और शौक दोनों पूरे हो रहे थे। इस घटना ने मुझे इलाके का एक दिन गुमठी चोर बना दिया। इसके बाद मैंने आसपास के कई इलाकों से चोरी करना शुरू कर दिया। चोरी के इस माल को खपाने के लिए मैंने शहर के दूसरे इलाकों में जाकर गुमठी वालों से संपर्क किया, जिन्हें मैं कम कीमत में चोरी का सामान बेच देता था। दुकानदारों को भी सस्ता सामान मिल रहा था, इसलिए किसी ने विरोध

नहीं किया और न ही इस बारे में ज्यादा पूछताछ की। छोटा भाई भी मेरी संगत में आकर चोरी करने लगा।

रामानुज कहता है कि हमने कई बार ब्रांडेड कंपनियों के लेवल लगाकर नकली सिगरेट भी मार्केट में बेची। एक रात छोटा भाई चौराहे पर घूम रहा था। इसी दौरान पुलिस ने शंका होने पर उसे गिरफ्तार कर लिया। जब तलाशी ली गई तो उसकी जेब से बाबा इलायची के ढेर सारे पैकेट और पैसे निकले। पुलिस उसे पकड़कर थाने ले आई। पूछताछ करने पर उसने गुमठियों में चोरी करने की बात बता दी। जब पुलिस ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ कौन-कौन शामिल हैं तो उसने मेरा भी नाम बता दिया। इसके बाद पुलिस ने मुझे भी गिरफ्तार कर संप्रेक्षण गृह भेज दिया।

रामानुज अपने परिवार के बारे में बताता है कि उसके पिता लंबे समय से नेपाल में चाचा के पास रहते हैं। उनका वहां खुद का कारोबार है। मां भोपाल में ही एक फैक्टरी में काम करती है। हम पांच भाई हैं। तीनों बड़े भाई शादी होने के बाद से अलग रहते हैं। वे होटलों में कुक का काम करते हैं। मैं और मेरा छोटा भाई मां के साथ रहते हैं।

रामानुज अपनी दास्तां सुनाते हुए कहता है कि मैं कक्षा पांचवीं तक पापा के पास नेपाल में ही पढ़ा, फिर भोपाल मां के पास आ गया। यहां आकर मैंने मां से कई बार आगे पढ़ाई जारी रखने की बात कहीं, लेकिन उन्होंने आर्थिक तंगी की वजह से गंभीरता नहीं दिखाई। इसी दौरान खाली समय को काटने के लिए मैं रिश्तेदार की मदद से दिल्ली चला गया। वहां होटलों में खाने का पार्सल सप्लाई का काम करने लगा। फिर मां के बुलावे पर भोपाल आ गया। यहां भी पहले तो मुझे मेरी पसंद का काम नहीं मिला। कुछ समय बाद एक काम मिला भी, लेकिन वहां मुझे ज्यादा पैसे नहीं मिले तो वहां से भी छोड़ दिया।

घर पर अकेले रहने और जरूरतों को पूरा करने के लिए मैंने गुमठियों में चोरी करना शुरू कर दिया। रामानुज अचानक बुजुर्ग मां का ख्याल कर कहता है कि पता नहीं मेरी मां कैसी होगी? हम दोनों भाई संप्रेक्षण गृह में हैं। उसका तो कोई ख्याल रखने वाला भी नहीं है। मुझे चोरी की सजा मिल रही है। मां ने भी कभी मेरी हरकतों पर नजर नहीं रखी। यहां आकर मुझे अपनी गलती का अहसास हो गया है। यहां से बाहर निकलने के बाद मां और भाई को लेकर पापा के पास नेपाल चला जाऊंगा। वहीं अपनी आगे की पढ़ाई फिर से शुरू करूंगा।

सीख – चोरी के काम से शर्मिंदा हूं और अपने गुनाह पर पछता रहा है। किसी ने पहले मेरी गलतियों को नहीं सुधारा। अगर मां ने मुझे भी स्कूल में पढ़ने भेजा होता हो शायद में गुमठी चोर नहीं बनता। उसकी आंखें आंसुओं से डबडबा जाती हैं, इसलिए परवरिश करने के साथ अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान देना जरूरी है। अगर रामानुज की मां ने उसे आगे पढ़ाया होता तो शायद वह गुमठी चोर नहीं बनता।

जब क्रिकेट का सट्टा बन गया मेरे अपराधी होने की वजह

बार–बार अड़ीबाजी से परेशान सोहेल खान (परिवर्तित नाम) और उसके साथियों के हाथों से छोटे से विवाद के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद सोहेल और उसके दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस घटना को करीब आठ महीने से अधिक बीत चुके हैं। अब वह बाल सुधार गृह में रह रहा है। जबकि उसके दोस्त 18 वर्ष से अधिक उम्र होने के कारण सेंट्रल जेल में हैं। सोहेल का कहना है कि व्यक्ति के न चाहते हुए भी कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाती हैं कि उससे गुनाह हो ही जाता है....

भोपाल में कक्षा 9 वीं तक स्थानीय हाईस्कूल में पढ़ा 17 वर्षीय सोहेल बताता है कि हम पांच दोस्तों का ग्रुप हमेशा साथ रहता था। सभी लोग अपना व्यापार – व्यवसाय ईमानदारी से करते थे। इसमें कोई कंपनी में नौकरी करता था तो कोई अपनी दुकान चलाता था। सब लोग ऑफिस और दुकान से फ्री होने के बाद शाम को गपशप करते थे। एक–दूसरे के दु:ख–तकलीफ बांटते थे। अगर किसी को कोई परेशानी या घर पर दिक्कत है तो मिलकर मदद करते थे। इसी तरह सबकुछ अच्छा चल रहा था। मेरे एक मित्र को क्रिकेट का बहुत शौक था, इसलिए वह कभी–कभी क्रिकेट में किसी एक टीम को जीतने या हारने को लेकर सट्टा लगा देता था। इसी दौरान उसने भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट सीरीज में सट्टा लगा दिया, जिसमें उसे पांच लाख रुपए मिले। यह बात शहर के अन्य इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति को नागवार गुजरी। वह मेरे मित्र से पैसों की मांग को लेकर अड़ीबाजी करने लगा। मित्र ने कई दिनों तक यह बात किसी को नहीं बताई। वह हर बार मामले को टालने की कोशिश करता रहा। एक बार अड़ीबाज शराब पीकर आया और अभद्र व्यवहार करते हुए गाली–गलौज करने लगा। हमने उसे समझाया, लेकिन वह मानने को तैयार ही नहीं था।

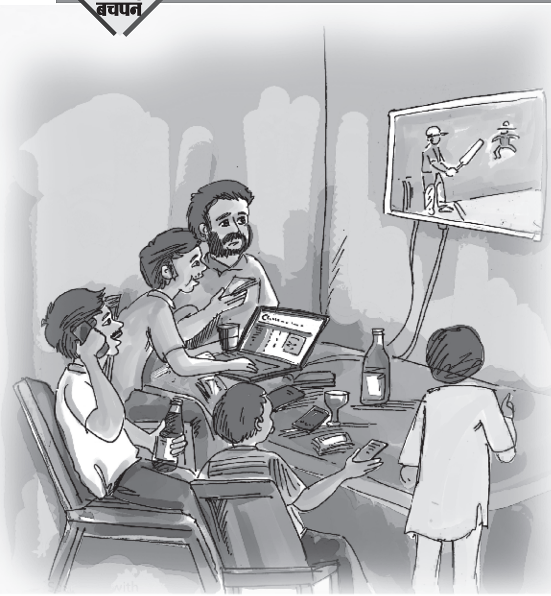

विवाद को टालने के लिए उसे उसके घर के बाहर तक पहुंचा भी आए, लेकिन वह नहीं माना। इसके कुछ समय बाद वह वापस आ गया और विवाद करने लगा। इसी दौरान झगड़े में उसकी झूमाझटकी के दौरान हथियार लगने से उसकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद हम सभी को जेल भेज दिया गया। मेरे सभी दोस्त इन दिनों सेंट्रल जेल में है। मेरी उम्र कम होने के कारण मुझे संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया। इससे पहले मुझे करीब पांच महीने सेंट्रल जेल में रखा गया था।

सोहेल बताता है कि उसके परिवार में दो भाई हैं, जिसमें सोहेल छोटा है। वह पिताजी के साथ दुकान में मदद करता है। चूंकि घर-परिवार की सारी जिम्मेदारी पिताजी और भाई ही देखते हैं, इसलिए मुझ पर परिवार की कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। हत्या के मामले में जब हमारा नाम सामने आया और इसकी जानकारी घरवालों को मिली तो उन्हें सबसे पहले तो भरोसा ही नहीं हुआ कि सोहेल इस तरह का कोई अपराध कर सकता है। धीरे-धीरे जब मामले की परतें खुलती गईं तो सारा सच सामने आ गया। इसके बाद पिताजी को मेरी इस हरकत से बहुत दुख पहुंचा और वे मुझसे नाराज रहने लगे, लेकिन बेटे के हाथों भले ही गलत काम हो जाए, लेकिन माता-पिता बेटे से ज्यादा समय तक नाराज नहीं रह सकते। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे संप्रेक्षण में जाने के बाद घरवाले मेरे बारे में सोचते हुए अक्सर परेशान रहने लगे। वे मेरी जमानत का प्रयास करते हुए समय-समय पर बाल सुधार गृह में मुझसे मिलने आया करते हैं।

सोहेल कहता है कि यहां से जमानत होने के बाद मैं भोपाल छोड़कर किसी दूसरे शहर में अपना कारोबार शुरू करूंगा। क्योंकि मेरे माता-पिता मुझे लेकर अक्सर चिंतित रहते हैं। यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना है। इसके बाद तो पूरा परिवार टूट चुका है। आस-पड़ोस के लोगों की नजर में पिताजी का पहले वाला सम्मान नहीं बचा है। काश, में अपने गुस्से पर नियंत्रण कर लेता तो आज यह स्थिति नहीं बनती।

सीख- इस घटना के बाद जहां दोस्तों की नौकरी भी गई। वहीं, घरवालों को भी पुलिस और अदालत के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। काश, हम अपने गुस्से पर नियंत्रण रखते और पुलिस को मामले की जानकारी देते तो शायद आज हम लोगों से यह अपराध नहीं होता। इसलिए जब भी इस तरह की स्थिति बने तो सबसे पहले अपने परिवार के बारे में सोचें। हमारी एक गलती से पूरा कॅरियर ही बर्बाद हो जाता है।

बुरे लोगों की संगत में आकर वारदात में हो गया शामिल

कहते हैं व्यक्ति के जीवन में माहौल का सबसे ज्यादा असर पड़ता है। अगर किसी को बचपन से अच्छा माहौल मिले तो व्यक्ति में संस्कार कई गुना बढ़ जाते हैं। परिवेश अगर आपराधिक प्रवृत्ति का हो तो संस्कार भी पीछे छूट जाते हैं। इसके बाद चाहे बच्चा हो या बड़ा सभी गुनाह के दलदल में फंसते चले जाते हैं। शुरुआत में नादानी में किया गया अपराध किसी बच्चे को बड़ा गुनाह करने के लिए भी प्रेरित कर सकता है, लेकिन इस बालक द्वारा पहली बार नादानी में किए गए अपराध का बोध उसे माता–पिता का आज्ञाकारी बनने की प्रेरणा दे गया। यह वाकिया गुना जिले के 14 साल के जगताप (परिवर्तित नाम) की कुछ ऐसी ही कहानी बयां करता है....

जगताप की बचपन से ही पढ़ाई-लिखाई में रुचि नहीं होने के कारण कक्षा चौथी के बाद से ही उसने स्कूल जाना बंद कर दिया। उसका चंचल मन उसे एक जगह टिकने ही नहीं देता था। इसलिए वह कभी दिल्ली में रहने वाली अपनी बुआ के घर चला जाता या फिर कहीं ओर घूमने निकल जाता। कुल मिलाकर बचपन से ही उसने माता-पिता की नसीहतों पर गंभीरता से अमल नहीं किया, जिससे वह कम उम्र में ही भटकाव के रास्ते पर चल पड़ा। माता-पिता कम पढ़े-लिखे होने के कारण जगताप को वे सही मायने में यह समझाने में सफल नहीं हो सके कि जीवन में शिक्षा की क्या अहमियत होती है। परिणामस्वरूप जगताप गलत लोगों की संगत में पड़कर चोरी जैसे अपराधों में सहभागी बन गया।

जगताप बताता है कि उसके गांव के कुछ लोग पहले से ही चोरी की वारदात में लिप्त थे। चूंकि उनका खेत हमारे खेत के आसपास ही था, इसलिए उनके साथ जान-पहचान थी। वे हमारे खेत पर भी आना-जाना करते थे। एक बार वे लोग मुझे भी घूमने-फिरने का कहकर अपने साथ ले गए। उनके पास एक कार भी थी। अगर कार नहीं होती तो वे कहीं से भी व्यवस्था कर लेते थे। कार में ड्राइवर के अलावा चार-पांच लोग

हमेशा साथ में आना-जाना करते थे। जब वे कहीं चोरी करने जाते तो ड्राइवर और मुझे कार में ही बैठा देते थे। जगताप बताता है कि वे लोग चोरी करने से पहले दुकान या मकान का मुआयना भी करते थे। इसके बाद चोरी करते थे। एक बार दिल्ली के आसपास इसी तरह चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहां से पैसे, सामान और मोबाइल फोन चुराकर ले आए, जिस घर में हमने चोरी की, वह मकान सूना था। लिहाजा चोरी कर वहां से निकलने में कामयाब रहे।

जब हमारी कार दिल्ली से बाहर निकलने वाली थी। उसी दौरान चुराए गए मोबाइल फोन के ट्रेस होने से कार को नाकेबंदी कर पुलिस ने वहीं पकड़ लिया। इसके बाद कार को जब्त कर सभी लोगों को थाने में बंद कर दिया। जगताप बताता है कि हम लोग गुना जिले के रहने वाले हैं, इसलिए पुलिस ने पूरा केस यहीं ट्रांसफर कर दिया। इस वारदात में शामिल सभी लोग चोरी के आरोप में सेंट्रल जेल में बंद हैं। मेरी उम्र कम होने के कारण मुझे संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया है।

जगताप अपने बारे में बताता है कि हम दो भाई हैं। मैं छोटा हूं। बड़ा भाई 10वीं कक्षा तक पढ़ा है। वह पिताजी के साथ खेती के काम में मदद करता है। हमारी करीब 60 बीघा खेती है। खेती करने के लिए ट्रैक्टर भी है। वह बताता है कि मेरा न तो पढ़ाई-लिखाई में मन लगता है और न ही एक जगह ज्यादा समय तक रुकने में, इसलिए मैं अक्सर दिल्ली में रहने वाली अपनी बुआ के घर चला जाता हूं। वहां उनका फूलमाला बनाने का काम है। इधर, जब इस घटना की जानकारी माता-पिता को लगी तो वे बहुत नाराज हुए। वे कहते हैं कि हमारे लाड़-प्यार ने जगताप को बहुत बिगाड़ दिया। हमारे पास भगवान का दिया सबकुछ है। उसे कई बार स्कूल जाकर पढ़ने-लिखने को कहा, लेकिन वह सुनने को तैयार ही नहीं था। पिताजी को आसपास के लोगों पर पहले ही शक था, इसलिए वे मां से मेरा अक्सर ध्यान रखने के लिए कहते थे। जगताप बताता है कि पिताजी मेरी जमानत के लिए कोशिश कर रहे हैं। वे सप्ताह में एक बार मिलने आते हैं। वे यहां जब भी मुझसे मिलते हैं उनका उदास चेहरा देखकर मुझे मेरी गलती का अहसास होने लगा है। वह कहता है कि जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगती, वह संभलता नहीं है। अब मैं यहां से छूटकर वापस स्कूल जाना शुरू करूंगा। वह सब काम करूंगा, जो माता-पिता चाहते हैं। कभी गलत लोगों की संगत नहीं करूंगा। मुझे अपने गुनाहों का अहसास हो चुका है। जमानत होने के बाद पापा के साथ खेती में मदद करूंगा। ट्रैक्टर चलाना सीखना है। मेरी एक नादानी नें मुझ पर बचपन में ही अपराधी बालक का लेवल लगा दिया।

सीख– काश! मुझे भी अच्छा माहौल मिला होता तो आज मैं भी किसी स्कूल में पढ़ाई कर रहा होता। अब मुझे अपनी गलती का अहसास हो चुका है। मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि वो मुझे सही रास्ता दिखाए, क्योंकि मैं अपने मम्मी–पापा को अब कभी दुख नहीं देना चाहता।

मैंने लिफ्ट क्या दी तस्करी का आरोपी बना दिया

साई बाबा के दर्शन के लिए गुरुवार को घर से निकले किशोर को क्या पता था कि उसे वापस लौटते समय किसी को लिफ्ट देना महंगा पड़ जाएगा। उसने अपनी ही कॉलोनी में रहने वाले दो लोगों को बाइक पर लिफ्ट क्या दी, वह खुद ही चरस की तस्करी के आरोप में फंस गया। यह वाकया भोपाल में रहने वाले 17 वर्षीय जीवनलाल (परिवर्तित नाम) के साथ हुआ। अब वह विधि विवादित होने के कारण बाल सुधार गृह में है....

जीवनलाल ने बताया कि मैंने पहले सलकनपुर माताजी के दर्शन के लिए जाने का प्लान बनाया, लेकिन किसी कारण से मैं वहां नहीं जा सका। इसके बाद सोचा कि चलो साई बाबा के दर्शन कर आता हूं। मैंने घरवालों को कहा कि मैं साई बाबा के दर्शन करने मंदिर जा रहा हूं। एक घंटे में वापस लौट आऊंगा। घर से बाइक लेकर कॉलोनी से कुछ दूर स्थित साई मंदिर पहुंचा और बाबा के दर्शन किए। कई दिनों के बाद गया था तो अच्छा लग रहा था। मंदिर में कुछ देर रुका, फिर घर के लिए निकल पड़ा।

कुछ दूर चलने के बाद ऐसा लगा की बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया है। रास्ते में एक पेट्रोल पंप से 50 रुपए का पेट्रोल डलवाया और घर के लिए चल दिया।

तभी रास्ते में कंजर जाति के दो लोग मिले। वे हमारी कॉलोनी में रहते थे इसलिए मैं उन्हें जानता था, लेकिन मेरी उनसे कोई दोस्ती नहीं थी। उन्होंने मुझे रोका और कहा कि भाई, हम लोगों को अगले चौराहे तक लिफ्ट दे दो। वहां हमारा कुछ लोग पहले से इंतजार कर रहे हैं। जल्द पहुंचाना है। उन्हें एक पैकेट देना है। देर हो गई तो पैकेट लेने वाले चले जाएंगे। इसमें बहुत कीमती सामान है। इसकी कीमत 46 हजार रुपए है। उन्होंने इसके बाद मुझे 500 रुपए देने की बात भी कही।

जीवनलाल ने कहा कि मुझे आप लोगों से कोई पैसे नहीं चाहिए। अगर वाकई तुम्हें पहुंचना है तो तुम्हारी मदद कर दूंगा। मैंने उन लोगों को चौराहे तक छोड़ा। वहां पास ही में एक सफेद कार खड़ी थी। उसमें कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने रुकने के लिए कहा और हमें कार में बैठा लिया। वे खुद को क्राइम ब्रांच से होना बता रहे थे। मैं मामला समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इसके बाद क्राइम ब्रांच के लोग हमें पकड़कर थाने ले आए। कंजर जाति के उन दो लोगों के पास से एक पैकेट भी बरामद हुआ, जिसमें क्राइम ब्रांच के मुताबिक दो किलोग्राम चरस होना बताया गया था। उन्होंने सभी से करीब एक घंटे तक पूछताछ की। एक दिन जेल में रखने के बाद अगले दिन मुझे बाल सुधार गृह भेज दिया। वहीं, दोनों कंजर सेंट्रल जेल में बंद हैं। बाद में क्राइम ब्रांच ने इस मामले से जुड़े दो लोगों को और गिरफ्तार किया और उन्हें जेल भेज दिया, जबकि मेरे पास न तो चरस मिली और न ही मेरा पुलिस थाने में किसी प्रकार का आपराधिक रिकॉर्ड है। इसके बाद भी मेरी एक नहीं सुनी और आरोपी बना दिया।

जीवनलाल बताता है कि अभी मैं कक्षा 12वीं की पढ़ाई कर रहा हूं। मैंने हाल ही में पेपर भी दिया है। सोचा था कि परीक्षा के बाद कम्प्यूटर कोचिंग और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करूंगा। कॅरियर के महत्वपूर्ण समय को बर्बाद करने से अच्छा है कि इसका उपयोग कर लिया जाए। आईटीआई में प्रवेश लेने का मन है, लेकिन इस घटना ने मुझे कमजोर कर दिया है। वहीं, मेरा रिकॉर्ड भी खराब हो गया है। मैं कॉलोनी में पंडीताई भी करता हूं। यहां से बाहर आने के बाद दूसरे लोग भी मुझे गलत समझेंगे। समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। जीवनलाल अपने परिवार के बारे में बताता है कि पिताजी रेलवे से रिटायर्ड हैं। दो भाई हैं, जो ठेकेदारी करते हैं। चूंकि घरवालों को पूरा विश्वास है कि मैं गलत नहीं हूं। मैंने आज तक किसी भी चीज का नशा नहीं किया। मुझे तो सिर्फ घूमने-फिरने का शौक है। पिताजी मेरी जमानत के लिए प्रयास कर रहे हैं। जीवन कहता है कि अगर मुझे पता होता कि किसी को लिफ्ट देने से यह सजा मिलेगी तो मैं कभी किसी की मदद नहीं करता।

सीख: किसी की मदद करने से पहले हमें उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेना चाहिए। किसी तरह का जरा भी शक होने पर किसी तरह दूरी बना लेनी चाहिए।

लोगों के बहकावे में आकर बन गया सामूहिक ज्यादती का आरोपी

गलत लोगों की संगत में आकर अब किशोर भी सामूहिक ज्यादती जैसे घिनौने अपराध में शामिल होने लगे हैं। इस तरह के अपराध से वे अपना कॅरियर तो बर्बाद करते ही हैं साथ ही परिजनों को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। भोपाल जिले की बैरसिया तहसील में रहने वाला कौरव (परिवर्तित नाम) की जिंदगी से जुड़ा वाकया भी यही कहता है....

कौरव कुछ लोगों के साथ गांव की ही 19 साल की लड़की से सामूहिक ज्यादती के मामले में शामिल हो गया। यह आरोप पीड़िता ने थाने में दर्ज एफआईआर में लगाए हैं। इस मामले से जुड़े सभी आरोपी अभी जेल में बंद हैं। इनमें कौरव की उम्र 16 साल होने के कारण उसे बाल सुधार गृह भेजा गया है। वहीं, चार अन्य आरोपियों को सेंट्रल जेल में रखा है। हालांकि कौरव ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है, लेकिन बाद में उसने कहा कि गलत संगत में आकर यह गुनाह हो गया। अब पछता रहा हूं।

कौरव बताता है कि लड़की के चाल-चलन को लेकर पहले से ही संदेह था। वह लगातार तीन-चार दिन से किसी से मिलने जा रही थी। जब मैंने यह बात अपने आसपास के लोगों को बताई तो सभी ने कहा कि अगली बार जब वह घर से बाहर निकले, तब बताना तो हम उसका पीछा करेंगे। देखते हैं वह कहां, किससे मिलती है। एक दिन वह घर से

लोटा लेकर टॉयलेट जाने के लिए निकली, जिसका हम लोगों ने पीछा किया। हमने देखा कि वह नदी किनारे दो लड़कों से मिल रही है। इसके बाद उन लोगों ने हमें जैसे ही देखा लड़के तो वहां से तत्काल भाग गए। ऐसा लग रहा था वे पड़ोस के किसी गांव के रहने वाले थे, लेकिन लड़की भागने में कामयाब नहीं हो सकी।

कौरव बताता है कि मेरे साथ के लोगों ने लड़की से कहा कि हमारे साथ संबंध बनाओ नहीं तो तुम्हारी इस करतूत को पूरे गांव में फैला दिया जाएगा। उन लोगों ने लड़की पर दबाव डालना शुरू कर दिया।

इधर, लड़की ने माता-पिता को साथ में लेकर घटना के तीन दिन बाद थाने में सामूहिक ज्यादती का मामला दर्ज कर दिया। पीड़िता ने थाने में पुलिस को बताया कि मैं पूजा करने के लिए मंदिर गई थी। इसी दौरान पांच लोगों ने मुझे नशीला पदार्थ खिला दिया, जिससे मुझे नशा सा होने लगा। फिर वे मुझे नदी के किनारे ले गए। हालांकि जब तक मैं होश में थी तब तक भागने की कोशिश भी की, लेकिन भाग नहीं सकी। इस दौरान मैंने शोर भी मचाया, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आया। किसी ने भी मेरी आवाज नहीं सुनी। फिर सभी पांच लोगों ने मेरे साथ ज्यादती की। इसके बाद जान से मारने की धमकी देकर यह बात किसी को न बताने का कहकर मुझे छोड़ दिया। पीड़ित ने एफ आईआर में बताया कि घटना के तीन दिन बाद तबीयत ठीक होने पर मां और भाई को लेकर शिकायत दर्ज कराई।

कौरव अपने बारे में बताता है कि परिवार में दो भाई और मां है। एक बहन की शादी हो चुकी है। पिताजी नहीं रहे। खेती का सारा काम दोनों बड़े भाई ही देखते हैं। मैं प्राइवेट स्कूल से 9वीं की पढ़ाई कर रहा हूं। गलत संगत में आकर में भी अपराध में शामिल हो गया।

सीखः मुझे मालूम होता कि मेरे साथ वाले लोग इस तरह के हैं तो कभी मैं उनका साथ नहीं देता। अब पछता रहा हूं। बाल सुधार गृह से बाहर निकलने के बाद ऐसे लोगों की संगति नहीं करूंगा। अब मैं आगे की पढ़ाई मामा के यहां जाकर पूरी करूंगा।

जुगाड़ से बंदूक खरीदकर बन गया हत्या का आरोपी

आए दिन होने वाले विवाद किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता को खत्म कर देते हैं। फिर वह इन सब से मुक्ति पाने के लिए आर–पार की लड़ाई लड़ने की ठान लेता है। चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो। ऐसा कदम व्यक्ति तभी उठाता है, जब उसे पुलिस प्रशासन की ओर से कोई मदद या सहयोग नहीं मिल रहा होता है। कई बार आरोपी भी रसूख के चलते कार्रवाई से बच निकलते हैं। पीड़ित के अंदर छिपी टीस उसे बदला लेने के लिए प्रेरित करती है....

ऐसा ही वाकया राजधानी में रहने वाले कमल (बदला हुआ नाम) के साथ हुआ। उसने अपने बड़े भाई और दोस्तों के साथ मारपीट करने वाले दो लोगों से परेशान होकर दूसरे पक्ष पर गोली चला दी। इस घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को समय पर इलाज मिलने से बचा लिया गया। इधर, पुलिस ने कमल को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल भेज दिया। यहां उम्र का सत्यापन होने के बाद 17 वर्ष निकलने पर बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है।

कमल बताता है कि एक दिन दूसरी कॉलोनी के कुछ लोग हमारे मोहल्ले में आकर बड़े भाई के साथ मारपीट करने लगे। वे लोग इससे पहले भी कई बार झगड़ा और विवाद कर चुके थे। हम लोगों ने मारपीट की शिकायत पास के थाने में दर्ज करा दी। पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें छोड़ दिया। इस घटना के कुछ समय बीत जाने के बाद उन लोगों ने फिर हमारे घर आकर भाई के साथ मारपीट की। भाई के एक दोस्त जिनकी हमारी कॉलोनी में ही दुकान थी, उसमें भी तोड़फोड़ कर दी। जब मैंने उनका बचाव किया तो मेरे साथ भी मारपीट की। चूंकि वे लोग अपनी हरकतों से बाज आने वाले नहीं थे, लिहाजा मैंने उन्हें सबक सिखाने का मन बना लिया। सबसे पहले मैंने ऐसे लोगों की तलाश की जहां से बंदूक या अन्य हथियार आसानी से मिल सके। कुछ समय के बाद जुगाड़ लगाकर मैंने एक बंदूक खरीद ली। अब मैं आर-पार की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। वे जैसे ही फिर हमारे घर विवाद करने आए मैंने उन पर गोली चला दी। इसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को बचा लिया गया। पुलिस ने मुझे मर्डर और हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल भेज दिया। इसके बाद मेरी उम्र 17 साल होने की वजह से मुझे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। मैं करीब डेढ़ साल से बाल सुधार गृह में ही हूं।

कमल बताता है कि मैं भी आम बच्चों की तरह परिवार के साथ अपनी जिंदगी जी रहा था। पढ़ाई में मन नहीं लगने की वजह से मैंने कक्षा आठवीं पास करने के बाद स्कूल जाना बंद कर दिया था। इसके बाद मैंने दोस्तों की मदद से शहर में पार्किंग के ठेके लेने और इलेक्ट्रॉनिक सामान को सुधारने का काम सीखना शुरू कर दिया। जब भी समय मिलता टेंट हाउस का काम भी करता था।

कमल बताता है कि अब बाल सुधार गृह से बाहर निकल कर नया काम शुरू करूंगा। मैं भोपाल छोड़कर दूसरे शहर जाकर ईमानदारी और मेहनत से काम करूंगा। अब मेरा यहां रहकर काम करना संभव नहीं है। दुश्मन बहुत ज्यादा हो गए हैं। कभी भी मेरे साथ कोई घटना हो सकती है। पापा की सरकारी नौकरी थी, अब तो वे भी रिटायर हो गए हैं। मां की तबीयत भी अक्सर खराब रहती है। अब यहां से बाहर आने पर मेरी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी, जिन्हें मुझे पूरा करना है।

सीख : कमल बताता है कि मेरा हथियार खरीदने का निर्णय गलत था। हिंसा और अपराध किसी समस्या का समाधान नहीं है। इससे परिवार के लोग तो परेशान होते ही हैं और आरोपी का ठप्पा लग जाने के बाद समाज भी हेय की नजर से देखता है। अगर में पुलिस के बड़े अधिकारियों से मिलकर अपनी दिक्कतों के बारे में बात करता तो जरूर कोई समाधान निकलता, लेकिन आवेश में आकर मेरे गलत कदमों ने मेरे कॅरियर को गलत दिशा की ओर धकेल दिया।

बच्चों के देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015

बच्चों की सुरक्षा और देखभाल के लिए सन 2000 में यह कानून बनाया गया था, जिसमें वर्ष 2015 में संशोधन किए गए और नया किशोर न्याय (बच्चों के देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 अस्तित्व में आया। यह कानून संयुक्त राष्ट्र महासभा के बाल अधिकार घोषणा-पत्र 1989 के परिपालन एवं उसके अनुशासित मानकों को ध्यान में रखकर लाया गया। इसका मकसद भारतीय संविधान के अनुचछेद 15, 39 (ई) तथा (एफ), 45 एवं 47 में वर्णित उद्देश्यों का परिपालन करना भी है। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा तथा ऐसे बच्चों, जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, उनका पुनर्वास एवं संरक्षण करना रहा है। अधिनियम में इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया है कि बच्चों द्वारा किए गए विधि विरुद्ध कार्यो को वयस्कों द्वारा किए गए अपराधों से भिन्न मानकर, उन्हें संवेदनापूर्वक तरीके से देखा जाए एवं निर्णय भी उसी आधार पर बच्चों के उत्थान हेतु लिए जाए।

बच्चों की देखरेख और संरक्षण के सिद्धांत

किशोर न्याय अधिनियम-2015 में कुछ बुनियादी सिद्धांतों (अध्याय-2) का उल्लेख है, जो यह बताते हैं कि बच्चों से संबंधित किसी भी परिस्थिति में उन्हें शुरू से अपराधी या दोषी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। बच्चों के साथ हमेशा यह संभावना है कि उन्हें स्थाई रूप से अपराधी बनने से बचाया जा सकता है और वे बेहतर नागरिक हो सकते हैं। इस कानून का मकसद बच्चों को सजा देना नहीं, बल्कि देखरेख और संरक्षण के लिए व्यवस्था बनाकर उन्हें सकारात्मक दिशा देना है।

ये हैं प्रमुख सिद्धांत

- **निर्दोषिता की उपधारणा का सिद्धांत**- यानी 18 साल तक के व्यक्ति, जिसे यह कानून बच्चा मानता है, को असद्भावनापूर्ण या आपराधिक आशय का दोषी नहीं माना जाएगा।
- **गरिमा और योग्यता का सिद्धांत** - यानी सभी मनुष्यों के साथ गरिमा और अधिकारों में समान बर्ताव किया जाना चाहिए।
- **भाग लेने (सहभागिता) का सिद्धांत** - यानी हर बच्चे को अपनी बात कहने और उसके सुने जाने का, उसके हितों को प्रभावित करने वाली हर प्रक्रिया और निर्णयों में सहभागी होने का अधिकार है।
- **सर्वोत्तम हित का सिद्धांत** - यानी बच्चों से संबंधित हर प्रक्रिया इस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए कि वह प्रक्रिया बच्चों के सबसे ज्यादा हित में है और बेहतरी के लिए है।
- **कौटुम्बिक जिम्मेदारी का सिद्धांत** - यानी बच्चे की देखरेख, उसके पोषण और उसकी सुरक्षा की सबसे पहली जिम्मेदारी उसके जैविक परिजनों-परिवार की है। इसके अलावा यह जिम्मेदारी उन पालकों की है, जिन्होंने उसे गोद लिया है या दत्तक ग्रहण किया है।
- **सुरक्षा का सिद्धांत** - यानी यह सुनिश्चित करना कि बच्चा सुरक्षित रहे। देखरेख और संरक्षण की प्रक्रिया में रहते हुए और उसके बाद भी उसे कोई हानि नहीं पहुंचे। उसके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार न हो। सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं।
- **सकारात्मक उपाय का सिद्धांत** - यानी बच्चे के कल्याण, बेहतरी, विकास के लिए और उसकी असुरक्षा को कम करने के लिए सभी स्त्रोतों (परिवार, समुदाय भी शामिल है) का उपयोग किया जाएगा। असुरक्षा को कम करने के लिए ऐसा वातावरण उपलब्ध करवाने की कोशिश होगी, जिसमें उसकी सहभागिता बढ़े और वे समर्थ बनें ।

- **गैर कलंकीय शब्दार्थों का सिद्धांत** - यानी बच्चों के संबंध में ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं किया जाएगा, जो उन्हें अभियोगी बताते हों या उनके प्रतिकूल हों।
- **अधिकारों का त्याग न किए जाने या छूट न दिए जाने का सिद्धांत** - यानी बच्चों के किन्हीं भी अधिकारों का किसी भी परिस्थिति में अभित्यजन (सीमित) नहीं किया जाएगा।
- **समानता और विभेद न किए जाने का सिद्धांत**- यानी किसी भी बच्चे के खिलाफ किसी भी आधार पर (जाति, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान, नि:शक्तता या किए गए अपराध के कारण भी) भेदभाव नहीं किया जाएगा और हर बच्चों को पहुंच, अवसर और बर्ताव में समानता का हक मिलेगा।
- **एकांतता और गोपनीयता के अधिकार का सिद्धांत** - यानी हर बच्चे को सभी तरीकों से और पूरी न्यायिक प्रक्रिया में निजता और गोपनीयता की सुरक्षा का अधिकार मिलेगा।
- **संस्थागत संरक्षण का सिद्धांत** - यानी हर बच्चों को प्रकरण में जांच के बाद बिना किसी देरी के संस्थागत देखरेख में रखा जाएगा।
- **परिवार, कुटुंब, समुदाय में फिर से मिलने-बसने का अधिकार**- यानी किशोर न्यायिक प्रक्रिया में हर बच्चे को जल्द से जल्द अपने परिवार, कुटुंब से फिर से मिलने और उसी सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक व्यवस्था में फिर से जाने, पुन: बसने का अधिकार है। इस हक को तभी सीमित किया जाएगा, जब तक कि उस माहौल-परिस्थिति में जाने से उसका अहित न होता हो।
- **नए सीरे से शुरुआत करने का सिद्धांत** -यानी इस कानून के तहत, कुछ परिस्थितियों को छोड़कर बच्चों के प्रकरण से संबंधित पिछले सभी कागज, अभिलेख नष्ट कर दिए जाने चाहिए।
- **अपयोजन का सिद्धांत** - यानी किसी कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे से संबंधित कार्यवाहियों को अविलंब निपटाया जाना चाहिए। इसके लिए सभी उपाय किए जाने चाहिए।
- **नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत** - यानी सभी व्यक्तियों के लिए न्यायोचित और निष्पक्ष प्रक्रिया के मानकों जैसे उचित सुनवाई का अधिकार, निष्पक्षता, समीक्षा आदि) का पालन हो।

विधि विवादित बच्चों के लिए कानूनी और न्यायिक पहल

धारा 2(13) के मुताबिक विधि विवादित बच्चे उन्हें माना जाता है, जिन्होंने अपराध के दिन तक 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और उन पर आरोप है कि उन्होंने कोई अपराध किया है या जिन पर कोई अपराध करने का आरोप है।

विधि विवादित बच्चों के लिए प्रक्रिया

18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, जिन्होंने कोई विधि विरूद्ध कार्य किया हो, इस प्रक्रिया के दायरे में आएंगे। ऐसे बच्चों को पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा में लेने के 24 घंटे के भीतर किशोर न्यायिक बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। तीन सदस्यीय किशोर न्यायिक बोर्ड में 1 प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जिन्हें यह कानून प्रधान मजिस्ट्रेट कहता है) तथा 2 सामाजिक कार्यकर्ता (एक महिला आवश्यक) होते हैं।

`जो गा रहा है, उसे हिरासत में ले लो,
जो कह रहा है, उसे गिरफ्त में ले लो,
जो सुन रहा है, उसे हिरासत में ले लो,
जो चल रहा है, उसे दबोच लो,
जो लिख रहा है, उसे जकड़ लो,
जो इबादत में है, उसे हिरासत में ले लो,
जो दर्शन में है , उसे घेर लो,
जो अमन की मांग करे
जंग उसके खिलाफ छेड़ दो,
जो चैन का करे ख्याल
वहाँ भीड़ तैनात कर दो,
मत देखना आदमी अभी नवजात है
या बच्चा बहुत मासूम है,
वर्दी केवल शरीर पर नहीं
आंखों पर चढ़ाओ
दिमाग की नसों पर चढ़ाओ
और हृदय की धमनियों पर भी
ताकि हिचकिचाहट न रहे शेष
मुल्क को हिरासत में लेते वक्त,
गला दो जंगल, पहाड़, नदियां
और मजदूर के पसीनें की बूंदें
ताकि आठों पहर हो सके
उत्पादन बेड़ियों का,
प्रतिकार अन्याय का
जघन्य अपराध घोषित है
जो करे यह अपराध
उन्हें गुमशुदा जानिब कर दो,
हम सरकार हैं
बस हुक्म इतना ही है
जो इंसाफ का सपना देखे
उसे हिरासत में ले लो,
केवल आदमी को नहीं
हवा को, नदी को
अंजान को, ध्यान को
खुशबू को, गौरैय्या को
किताब को, दरख्त को
जाओ सबको हिरासत में ले लो,
तख्त का आदेश है
जन्म लेते ही आदमी को
इतना डरा दो कि
हर घर को कारागार बना दो।'